

# पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, पटना-800001



सशक्त स्थायी समिति की २१वीं साधारण बैठक की कार्यवाही:-

दिनांक :- 30.03.2026

समय :- 12:30 बजे अपराह्न

स्थान :- महापौर कार्यालय कक्ष, मौर्यालोक कम्पलेक्स, पटना।



यशपाल मीणा, भा.प्र.से.  
नगर आयुक्त  
पटना नगर निगम

रेशमी कुमारी  
उप-महापौर  
पटना नगर निगम

सीता साहू  
महापौर  
पटना नगर निगम



दिनांक-30.03.2026 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 21वीं साधारण बैठक माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निम्नांकित माननीया / माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया, जिसकी उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. श्रीमती सीता साहू    | - महापौर, पटना नगर निगम     |
| 2. श्रीमती रेशमी कुमारी | - उप-महापौर, पटना नगर निगम  |
| 3. श्रीमती श्वेता राय   | - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति |
| 4. श्रीमती अनीता देवी   | - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति |
| 5. श्रीमती कांति देवी   | - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति |
| 6. श्रीमती कावेरी सिंह  | - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति |
| 7. श्री कुमार संजीत     | - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति |
| 8. श्री मनोज कुमार      | - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति |



**निगम प्रशासन**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. श्री यशपाल मीणा, भा.प्र.से. | - नगर आयुक्त, पटना नगर निगम                               |
| 2. श्री राजन सिन्हा            | - अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम                           |
| 3. श्री कृष्ण स्वरूप           | - अपर नगर आयुक्त-सह- नगर सचिव, प0न0नि0                    |
| 4. श्री विनय कुमार             | - अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम                           |
| 5. श्री बिन्दु रजक             | - मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम                        |
| 6. श्री विकास कुमार            | - निदेशक, शहरी योजना, पटना नगर निगम                       |
| 7. श्री बब्लू गुप्ता           | - कार्यपालक अभियंता, विद्युत                              |
| 8. श्री अजीत कुमार शर्मा       | - कार्यपालक पदाधिकारी, नू0रा0अं0                          |
| 9. श्रीमती पुण्य तरू           | - कार्यपालक पदाधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल                    |
| 10. निखिल कुमार                | - कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल                      |
| 11. श्री गंगा ठाकुर            | - कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल                      |
| 12. श्री आशुतोष कुमार          | - कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल                     |
| 13. सुश्री श्रेया कश्यप        | - कार्यपालक पदाधिकारी, अजिमाबाद अंचल                      |
| 14. श्री राम स्वरूप प्रसाद     | - कार्यपालक अभियंता, जलापूर्ति/पटना सिटी प्रमंडल          |
| 15. श्री सुशील कुमार झा        | - कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल                 |
| 16. श्री आशीष प्रसाद           | - कार्यपालक अभियंता, कंकड़बाग/पाटलिपुत्र/बाँकीपुर प्रमंडल |
| 17. श्री अवधेश कुमार सिंह      | - निजी सहायक, पटना नगर निगम                               |

*सीता साहू*  
महापौर

अध्यक्ष :- बैठक में उपस्थित उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्यों एवं नगर आयुक्त तथा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में अभिनन्दन करती हूँ। बैठक की कार्यवाही शुरू की जाय।

नगर आयुक्त :- माननीया महापौर महोदया के आदेशानुसार नगर सचिव कार्यवाही को पढ़े।

मद संख्या-01 :- दिनांक-27.02.2026 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 20वीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

अध्यक्ष :- सम्पुष्टि का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-27.02.2026 को हुई सशक्त स्थायी समिति की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्रीमती अनीता देवी:- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों के प्रस्ताव से सहमत हूँ, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-570:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-27.02.2026 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 20वीं साधारण बैठक की कार्यवाही के सम्पुष्टि के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-02 :- पटना नगर निगम के लिए विधिक परामर्शी नियोजन के संबंध में।

अध्यक्ष :- विधिक परामर्शी के नियोजन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के द्वारा वाद/परिवाद एवं अनेक महत्वपूर्ण विषयों के निष्पादन के क्रम में विधि सम्मत परामर्श लेने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

वर्तमान में पटना नगर निगम में वरीय परामर्शी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण अनेक महत्वपूर्ण विषयों के निष्पादन में अनावश्यक रूप से विलम्ब की संभावना बनी रहती है।



*(Signature)*  
महापौर  
पटना नगर निगम

अतः पटना नगर निगम के लिए वरीय विधिक परामर्शी के नियोजन हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय/विमर्श हेतु रखा गया है।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं जानना चाहता हूँ कि विधि परामर्शी के पद पर कौन होंगे, और उनकी क्या योग्यता होगी? विधि परामर्शी का निगम में होना आवश्यक है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम प्रायः वादों में हार रहा है। मेरा यह भी सुझाव है कि अधिवक्ताओं के पुराने पैनल को भी बदला जाय। पूर्व में सशक्त स्थायी समिति और निगम पर्षद की बैठकों में विधि परामर्शी उपस्थित रहते थे। आवश्यकता पड़ने पर उनसे राय भी ली जाती थी।

अपर नगर आयुक्त(प्रवर्तन) :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि विधि परामर्शी के नियोजन का प्रस्ताव रखा जायेगा। साथ ही पुराने पैनल को बदलाव (Revise) करने का प्रस्ताव भी रखा जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया विधि परामर्शी के नियोजन एवं पुराने पैनल में बदलाव करने के प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-571 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के लिए विधि परामर्शी नियोजन के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-03 :- प्रत्येक वार्ड में 05-05 सबमर्सिबल बोरिंग अधिष्ठापन के संबंध में।



प्रत्येक वार्ड में 05-05 सबमर्सिबल बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आसन्न ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए आमजनों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक वार्ड में 05-05 नये सबमर्सिबल बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रति एक अर्द्ध

महापौर  
पटना नगर निगम

सबमर्सिबल बोरिंग का मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि- 2,98,000.00 (दो लाख अठानबे हजार) रूपये मात्र है।

इस प्रकार प्रत्येक वार्डों में 05-05 सबमर्सिबल बोरिंग के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

**श्री मनोज कुमार:-** माननीया अध्यक्ष महोदया, गर्मी के समय पेय जल की समस्या होती है। जिसके लिए कभी-कभी आम नागरिकों द्वारा प्रदर्शन एवं सड़क जाम भी किया जाता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

**नगर सचिव :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रत्येक वार्ड में बोरिंग के लिए जगह चिन्हित करना होगा। विवादित स्थल पर बोरिंग अधिष्ठापन में समस्या होगी।

**श्री कुमार संजीत :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, नगर सचिव का सुझाव अच्छा है। जगह उपलब्ध होने पर ही बोरिंग अधिष्ठापन का कार्य किया जाएगा।

**श्रीमती कावेरी सिंह:-** माननीया अध्यक्ष महोदया, नगर निगम में नये क्षेत्र विकसित हो रही है, वहाँ पेय जल की समस्या है। उन क्षेत्रों में बोरिंग अधिष्ठापन की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

**श्रीमती अनीता देवी :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

**प्रस्ताव संख्या-572:-** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में 05-05 सबमर्सिबल बोरिंग अधिष्ठापन करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पार्षद को अनुशंसित किया जाता है।

**श्रीमती श्वेता राय :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, गर्दनीबाग में कच्ची तालाब है, जो मेरे वार्ड क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन वार्ड संख्या-16 के पार्षद अतिक्रमण किये हुए है।

**अपर नगर आयुक्त(प्रवर्तन) :-** माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि तालाब के स्थल की स्थिति अमीन द्वारा सर्वेक्षण करा लिया जाय। सर्वेयर के जाँचोपरान्त कार्रवाई की जाएगी।



लिनाराइड  
महापौर  
पटना नगर निगम

मद संख्या-04 :- Construction of septic Tank and soak pit with repair and painting of samudayik sauchailya & boring work in gai ghat under nagar nigam office Azimabad patna city, patna for the year 2025-26.

अध्यक्ष :- इस मद का संलेख अप्राप्त है।

मद संख्या-05 :- Repair and painting of kachkal sabdha Griha under nagar nigam office Azimabad patna city, patna for the year 2025-26

अध्यक्ष :- इस मद का संलेख अप्राप्त है।

मद संख्या-06 :- Estimate of false ceiling work in tax collection chamber, Repair of Room near gate & repair of main gate (west side) in the campus of nagar nigam office Azimabad patna city, patna for the year 2025-26

अध्यक्ष :- इस मद का संलेख अप्राप्त है।

मद संख्या-07 :- Improvement of Ghat with Temporary Barricading with sal ballah, chali, local sand, jhalasi ETC. on the occasion of Ganga Dusherra festival at bhadra Ghat during year 2025.


अध्यक्ष :- इस मद का संलेख अप्राप्त है।

मद संख्या-08 :- वार्ड संख्या-43 अन्तर्गत चैती छठ 2026 हेतु कांग्रेस मैदान, मैकडोमल पार्क(पाटलिपुत्र पथ) एवं नवरत्न कॉलोनी(प्रमेचन्द गोलम्बर) में कृत्रिम घाटों के निर्माण व अन्य व्यवस्था कराने के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस मद का संलेख अप्राप्त है।

मद संख्या-09 :- वार्ड संख्या-16 अन्तर्गत सूर्य मंदिर कच्ची तालाब से हेतु हुए झुनझुनमहल मेन जनता रोड तथा बगल गली सौरव जी के मकान से अन्तिम छोड़ तक पाईप लाईन विस्तार।

एव

  
महापौर  
पटना नगर निगम



मद संख्या-10 :- वार्ड संख्या-16 अन्तर्गत झूनझुन महल ब्रोन गली डी0एस0पी0 साहब के मकान से अन्तिम छोड़ विजय स्वीट्स से लेकर गौरी भवन तक पाईप लाईन विस्तार।

अध्यक्ष :- वार्ड संख्या-16 में पाईप विस्तार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :-पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विभिन्न वार्डों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पाईप लाईन विस्तार करने की योजना का प्रस्ताव है।

पटना नगर निगम के माननीय/माननीया पार्षद द्वारा वार्ड की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुरोध किया गया। जिसके आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, वर्णित योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अतएव उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। जो निम्नवत् है :-

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Laying D.I Pipe Line and House to House Connection in Surya Mandir Kachi Talab to Jhunjhun Mahal Main Janta Road and Beside to Saurav Ji House to End Point and Ghose Gali DSP Sahab to End Point and Vijay Sweets to Gauri Bhawan at Ward No.-16	50,63,600.00 (पचास लाख तिरसठ हजार छः सौ) रूपये मात्र

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जलापूर्ति से संबंधित प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती अनीता देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-573 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड सं०-16 में पाईप लाईन विस्तार के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-

S. No	Name of Work	Estimated Amount
1	Laying D.I Pipe Line and House to House Connection in Surya Mandir Kachi Talab to Jhunjhun Mahal Main Janta Road and Beside to Saurav Ji House to End Point and Ghose Gali DSP Sahab to End Point and Vijay Sweets to Gauri Bhawan at Ward No.-16	50,63,600.00 (पचास लाख तिरसठ हजार छः सौ) रूपये मात्र।



महापौर  
पटना नगर निगम

मद संख्या-11 :- वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत बिहार पथ में मुन्ना राय के मकान से किशोरी राय के मकान तक एवं समीर कुमार के मकान से शर्मानन्द के मकान तक सड़क निर्माण कार्य, नाला निर्माण कार्य।

अध्यक्ष :- वार्ड संख्या-30 में सड़क निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा स्थिति में आधारभूत संरचना के तहत सड़क एवं नाला निर्माण कार्य का प्रस्ताव है।

उपरोक्त निर्माण कार्य के आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, उक्त योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। जो निम्नवत् है :-

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
1	Construction o U/G Drain and PCC Road from H/O Munna Rai to H/O Kishore Rai and H/O Sameer Kumar to H/O Sharmanand in Bihari Path Under Ward No.-30 of PMC Patna	27,86,962.00 (सताईस लाख छियासी हजार नौ सौ बासठ) रूपये मात्र।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती अनीता देवी:- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-574 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड सं0-30 अन्तर्गत नाला एवं सड़क निर्माण कार्य के स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-



क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
1	Construction o U/G Drain and PCC Road from H/O Munna Rai to H/O Kishore Rai and H/O Sameer Kumar to H/O Sharmanand in Bihari Path Under Ward No.-30 of PMC Patna	27,86,962.00 (सताईस लाख छियासी हजार नौ सौ बासठ) रूपये मात्र।

मद संख्या-12 :- जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक-13.01.2024 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-vi-27/2022-171/स्था0, पटना दिनांक-13.01.2024

महापौर  
पटना नगर निगम

में अनुशासित कुल-04 आवेदन पत्रों के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद निर्धारण करते हुए नियुक्ति संबंधी आदेश निर्गत करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- दिनांक-13.01.2024 को सम्पन्न जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में पटना नगर निगम की अनुकम्पा समिति की बैठक में उपस्थापित कुल-14 आवेदनों पर विचार किया गया। जिसमें सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा 04 आवेदन पत्रों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशांसा की गयी, जिसकी सूची निम्नवत् हैं :-

क्रमांक	मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम एवं मृत्यु/से0नि0 की तिथि	आवेदक का नाम, पूरा पता एवं जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	अनुकम्पा समिति का निर्णय
1	2	3	4	5
1.	स्व0 राजू, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-06.08.2021 से0नि0-31.08.2026	श्री हीरा राम (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-01.01.1992 यारपुर, न्यू अम्बेदकर कॉलोनी, पो0-जी0पी0ओ0, था0-गर्दनीबाग, जिला-पटना-1	अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण	आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 एवं पत्रक- 3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रक-7805, दिनांक-23.09.2002 के द्वारा महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। अतः उक्त पत्र के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
2.	स्व0 अनिल राम, सफाई मजदूर, बाँकीपुर अंचल, प.न.नि., मृत्यु-08.09.2022 से0नि0-31.03.2041	मो0 सुनिता देवी (पत्नी) जन्म-05.06.1990, शिवपुर, मुसल्लहपुर, पो0-महेन्द्र, था0-सुल्तानगंज, पटना-6	निरक्षर	आवेदिका महादलित श्रेणी के हैं तथा निरक्षर हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 के कॉडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कॉडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम



महापार  
पटना नगर निगम

				<p>दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त पत्र के आलोक में वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</b></p>
3.	<p>स्व० मोहन राम, सफाई मजदूर, बाँकीपुर अंचल, प.न.नि., मृत्यु-02.04.2018 से०नि०-31.03.2023</p>	<p>श्री श्याम राम (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-10.06.1996 काजीपुर, झोपड़पट्टी, रोड नं०-03, पो०-बाँकीपुर था०-कदमकुआँ, जिला-पटना-4</p>	अष्टम्	<p>आवेदक महादलित श्रेणी के है तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 एवं पत्रांक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दिनांक-23.09.2002 के द्वारा महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है।</p> <p>अतः उक्त पत्र के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</b></p>
4.	<p>स्व० आनन्द राम, सफाई मजदूर, बाँकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-24.12.2021 से०नि०-31.01.2027</p>	<p>श्री अरविन्द राम (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-01.01.1994 पूर्वी लोहानीपुर, खादपर, कदमकुआँ, पटना।</p>	निरक्षर	<p>आवेदक महादलित श्रेणी के है तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 के कडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त पत्र के आलोक में वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक</b></p>



महापीर  
पटना नगर निगम

				पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
--	--	--	--	---------------------------------

उपरोक्त विवरणी के अनुसार कुल-04 अनुकम्पा अभ्यर्थियों को वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-01/स्था0 (लोक)-02/2018-351/न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक-04.02.2021 के कंडिका-2 के उप कंडिका-(VI) में उल्लेखित है कि :- "समिति के अनुशंसा सदस्य सचिव द्वारा सशक्त स्थायी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थापित की जाएगी। सशक्त स्थायी समिति अनुशंसा प्राप्ति के एक माह के अन्दर नियुक्ति पर निर्णय लिया जायेगा तथा निर्णयोपरान्त यथास्थिति नगर आयुक्त या नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाएगा।"

**श्री मनोज कुमार** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, अनुकम्पा पर नियुक्ति का विषय काफी दिनों लंबित है। इनके समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाय। इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

**श्री कुमार संजीत** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

**प्रस्ताव संख्या-575 :-** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक-13.01.2024 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-vi-27/2022-171/स्था0, पटना दिनांक-13.01.2024 में अनुशंसित कुल-04 आवेदन पत्रों के आवेदकों के संबंध में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है पर नियुक्ति हेतु सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-




क्रमांक	मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम एवं मृत्यु/से0नि0 की तिथि	आवेदक का नाम, पूरा पता एवं जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	अनुकम्पा समिति का निर्णय
1	2	3	4	5
1.	स्व0 राजू, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-06.08.2021 से0नि0-31.08.2026	श्री हीरा राम (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-01.01.1992 यारपुर, न्यू अम्बेदकर कॉलोनी, पो0-जी0पी0ओ0, था0-गर्दनीबाग,	अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण	आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 एवं पत्रांक- 3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दिनांक-23.09.2002 के द्वारा महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है।

**महापौर**  
पटना नगर निगम

		जिला-पटना-1		<p>अतः उक्त पत्र के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
2.	<p>स्व0 अनिल राम, सफाई मजदूर, बाँकीपुर अंचल, प.न.नि., मृत्यु-08.09.2022 से0नि0-31.03.2041</p>	<p>मो0 सुनिता देवी (पत्नी) जन्म-05.06.1990, शिवपुर, मुसल्लहपुर, पो0-महेन्द्र, था0-सुल्तानगंज, पटना-6</p>	निरक्षर	<p>आवेदिका महादलित श्रेणी के है तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 के काँडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की काँडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त पत्र के आलोक में वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
3.	<p>स्व0 मोहन राम, सफाई मजदूर, बाँकीपुर अंचल, प.न.नि., मृत्यु-02.04.2018 से0नि0-31.03.2023</p>	<p>श्री श्याम राम (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-10.06.1996 काजीपुर, झोपड़पट्टी, रोड नं0-03, पो0-बाँकीपुर था0-कदमकुआँ, जिला-पटना-4</p>	अष्टम	<p>आवेदक महादलित श्रेणी के है तथा अष्टम वर्ग उत्तीर्ण है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 एवं पत्रांक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दिनांक-23.09.2002 के द्वारा महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है।</p> <p>अतः उक्त पत्र के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>



  
 महापौर  
 पटना नगर निगम

4.	स्व0 आनन्द राम, सफाई मजदूर, बाँकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-24.12.2021 से0नि0-31.01.2027	श्री अरविन्द राम (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-01.01.1994 पूर्वी लोहानीपुर, खादपर, कदमकुआँ, पटना।	निरक्षर	आवेदक महादलित श्रेणी के है तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 के कडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त पत्र के आलोक में वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्यवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
----	--	---	---------	---

मद संख्या-13 :- जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक-17.02.2024 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक- vi-27/2022-612/स्था0, पटना दिनांक-17.02.2024 में अनुशंसित कुल-07 आवेदन पत्रों के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद निर्धारण करते हुए नियुक्ति संबंधी आदेश निर्गत करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त:- दिनांक-17.02.2024 को सम्पन्न जिला पदाधिकारी, पटना- सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में पटना नगर निगम की अनुकम्पा समिति की बैठक में उपस्थापित कुल-13 आवेदनों पर विचार किया गया। जिसमें सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा 07 आवेदन पत्रों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी, जिसकी सूची निम्नवत् हैं :-

क्रमांक	मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम एवं मृत्यु/से0नि0 की तिथि	आवेदक का नाम, पूरा पता एवं जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	अनुकम्पा समिति का निर्णय
1	2	3	4	5
1.	स्व0 मदन, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि.,	श्री सन्नी कुमार (प्रथम अविवाहित पुत्र) जन्म-11.02.1994	अष्टम	आवेदक महादलित श्रेणी के है तथा अष्टम वर्ग उत्तीर्ण है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 एवं

पटना नगर निगम

	मृत्यु-20.12.2012 से0नि0-30.09.2027	मो0-यारपुर, अम्बेदकर कॉलोनी, पटना।		पत्रक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दिनांक-23.09.2002 के द्वारा महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। अतः उक्त पत्र के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
2.	स्व0 दिवाली माँझी, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-24.04.2011 से0नि0-30.06.2020	श्री मंगल माँझी (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-01.01.1996 दीघा, बालूपर, पो0+था0-दीघा, जिला-पटना।	निरक्षर	आवेदक महादलित श्रेणी के है तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 के कडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त पत्र के आलोक में वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
3.	स्व0 दुन्नी राम, सफाई मजदूर, बाँकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-30.09.2022 से0नि0-28.02.2035	श्री करन कुमार द्वितीय अविवाहित पुत्र) जन्म-10.04.1999, मछुआटोली, आर्य कुमार रोड, पो0-बाँकीपुर, था0-कदमकुआँ, पटना।	मैट्रिक	वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
4.	स्व0 मोहन प्रसाद, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि.	श्री राजेश कुमार (तृतीय विवाहित पुत्र) जन्म-08.05.1978	मैट्रिक	वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच



पटना नगर निगम

	मृत्यु-12.01.2018 से0नि0-31.01.2019	रेलवे हन्डर रोड, दास लेन, नियर महात्मा गांधी स्कूल, कदमकुआं पटना-03		कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
5.	मो0 अजीम, सफाई मजदूर, पटना सिटी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-23.09.2000 से0नि0-2008	मो0 अमीन (द्वितीय विवाहित पुत्र) जन्म-18.05.1978 ग्राम-कैमाशिकोह पो0-झाउगंज, पटना सिटी, थाना-चौक, जिला-पटना।	अष्टम्	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19553, दिनांक-26.12.2013 के आलोक में दिनांक-12.12.2012 के पूर्व समर्पित आवेदन पर आज की तिथि से अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त आवेदक की योग्यता अष्टम् उत्तीर्ण मानी जाएगी। साथ ही वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-2937, दिनांक-31.03. 2011 की कडिका-03(ii) एवं 7099 दिनांक-01. 08.2011 की कडिका-03 में विहित प्रावधानानुसार नियुक्ति की तिथि से आवेदक को ग्रेड पे रु0 1650/- तथा प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्ति की तिथि से ग्रेड पे रु0 1800/- एवं वेतन वृद्धि देय होगी। अतः उक्त पत्र के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से ग्रेड पे -रु0 1650/-, वेतनमान 4440-7440, (वेतन स्तर-1S) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित (सा0प्र0वि0 के संकल्प ज्ञापांक-7291, दिनांक-01.06.2018)। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् तथा उम्र क्षाति संबंधित आदेश प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
6.	स्व0 गोपाल राम, सफाई मजदूर, पाटलीपुत्र अंचल, प.न.नि. मृत्यु-11.01.2007 से0नि0-28.02.2029	गुड़िया देवी (पत्नी), जन्म-30.12.1972 मो0-पूर्वी लोहानीपुर, कदमकुआँ, पटना।	निरक्षर	आवेदिका महादलित श्रेणी के है तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 के कडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त पत्र के आलोक में वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु



महापौर  
पटना नगर निगम

				अनुशासित। नियुक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात तथा उम्र क्षाति संबंधित आदेश प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
7.	स्व0 मो0 जैनूल, गैंग कुली, बाँकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-17.12.2015 से0नि0-28.02.2017	मो0 अरशद अंसारी (प्रथम अविवाहित पुत्र) जन्म-01.01.1994 आलमगंज, पीरवेस मार्केट, गुलजारबाग, पटना।	मैट्रिक	वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियुक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।

उपरोक्त विवरणी के अनुसार कुल-07 अनुकम्पा अभ्यर्थियों में से 06 अनुकम्पा अभ्यर्थियों को वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) में एवं 01 अनुकम्पा अभ्यर्थी को ग्रेड पे -रु0 1650/-, वेतनमान 4440-7440, (वेतन स्तर-1) में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशासित किया गया है। परन्तु वर्तमान में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना नगर निगम के लिए स्वीकृत पदों की संरचना में ग्रेड पे-रु0 1650/-, वेतनमान 4440-7440, (वेतन स्तर-1) का कोई पद स्वीकृत नहीं है। इसलिए उपरोक्त क्रमांक-5 पर अंकित स्व0 मो0 अजीम के आश्रित पुत्र मो0 अमीन के नियुक्ति का प्रस्ताव उपस्थापित नहीं किया जा रहा है। इनके मामले में ग्रेड पे 1800/- के पद पर पुनर्विचार हेतु जिला अनुकम्पा समिति के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रंक-01/स्था0 (लोक)-02/2018- 351/न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक-04.02.2021 के केंडिका-2 के उप केंडिका-(VI) में उल्लेखित है कि :- "समिति के अनुशांसा सदस्य सचिव द्वारा सशक्त स्थायी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थापित की जाएगी। सशक्त स्थायी समिति अनुशांसा प्राप्ति के एक माह के अन्दर नियुक्ति पर निर्णय लिया जायेगा तथा निर्णयोपरान्त यथास्थिति नगर आयुक्त या नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाएगा।"

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, अनुकम्पा पर नियुक्ति का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती अनीता देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।



महापौर  
पटना नगर निगम

**प्रस्ताव संख्या-576:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक-17.02.2024 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक- vi-27/2022-612/स्था0, पटना दिनांक-17.02.2024 में अनुशासित कुल-07 आवेदन पत्रों के आवेदकों के संबंध में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशांसा किया गया है पर नियुक्ति हेतु सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-**

क्रमांक	मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम एवं मृत्यु/से0नि0 की तिथि	आवेदक का नाम, पूरा पता एवं जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	अनुकम्पा समिति का निर्णय
1	2	3	4	5
1.	स्व0 मदन, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि., मृत्यु-20.12.2012 से0नि0-30.09.2027	श्री सन्नी कुमार (प्रथम अविवाहित पुत्र) जन्म-11.02.1994 मो0-यारपुर, अम्बेदकर कॉलोनी, पटना।	अष्टम्	आवेदक महादलित श्रेणी के है तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 एवं पत्रांक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दिनांक-23.09.2002 के द्वारा महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। अतः उक्त पत्र के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्यवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
2.	स्व0 दिवाली माँझी, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-24.04.2011 से0नि0-30.06.2020	श्री मंगल माँझी (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-01.01.1996 दीघा, बालूपर, पो0+था0-दीघा, जिला-पटना।	निरक्षर	आवेदक महादलित श्रेणी के है तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 के कडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त पत्र के आलोक में वेतनमान 5200-20200, ग्रेड

पटना-सह-अध्यक्ष  
पटना नगर निगम

				पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
3.	स्व० टुन्नी राम, सफाई मजदूर, बाँकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-30.09.2022 से०नि०-28.02.2035	श्री करन कुमार (द्वितीय अविवाहित पुत्र) जन्म-10.04.1999, मछुआटोली, आर्य कुमार रोड, पो०-बाँकीपुर, था०-कदमकुआँ, पटना।	मैट्रिक	वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
4.	स्व० मोहन प्रसाद, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-12.01.2018 से०नि०-31.01.2019	श्री राजेश कुमार (तृतीय विवाहित पुत्र) जन्म-08.05.1978 रेलवे हन्डर रोड, दास लेन, नियर महात्मा गांधी स्कूल, कदमकुआँ पटना-03	मैट्रिक	वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
5.	मो० अजीम, सफाई मजदूर, पटना सिटी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-23.09.2000 से०नि०-2008	मो० अमीन (द्वितीय विवाहित पुत्र) जन्म-18.05.1978 ग्राम-कैमाशिकोह पो०-झाउगंज, पटना सिटी, थाना-चौक, जिला-पटना।	अष्टम्	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19553, दिनांक-26.12.2013 के आलोक में दिनांक-12.12.2012 के पूर्व समर्पित आवेदन पर आज की तिथि से अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त आवेदक की योग्यता अष्टम् उत्तीर्ण मानी जाएगी। साथ ही वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-2937, दिनांक-31.03.2011 की कडिका-03(ii) एवं 7099 दिनांक-01.08.2011 की कडिका-03 में विहित प्रावधानानुसार नियुक्ति की तिथि से आवेदक को ग्रेड पे रु० 1650/- तथा प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्ति की तिथि से ग्रेड पे रु० 1800/- एवं वेतन वृद्धि देय होगी। अतः उक्त पत्र के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से ग्रेड पे -रु० 1650/-, वेतनमान 4440-7440, (वेतन स्तर-1S) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित (सा०प्र०वि० के संकल्प ज्ञापांक-7291, दिनांक-01.06.2018)। नियोक्ता



पटना नगर निगम  
महापौर

				नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् तथा उम्र क्षाति संबंधित आदेश प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
6.	स्व० गोपाल राम, सफाई मजदूर, पाटलीपुत्र अंचल, प.न.नि. मृत्यु-11.01.2007 से०नि०-28.02.2029	गुड़िया देवी (पत्नी), जन्म-30.12.1972 मो०-पूर्वी लोहानीपुर, कदमकुआँ, पटना।	निरक्षर	आवेदिका महादलित श्रेणी के है तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 के काँडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की काँडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त पत्र के आलोक में वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् तथा उम्र क्षाति संबंधित आदेश प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
7.	स्व० मो० जैनुल, गैंग कुली, बाँकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-17.12.2015 से०नि०-28.02.2017	मो० अरशद अंसारी (प्रथम अविवाहित पुत्र) जन्म-01.01.1994 आलमगंज, पीरवेस मार्केट, गुलजारबाग, पटना।	मैट्रिक	वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।



मद संख्या-14 :- जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक-10.02.2026 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापक- vi-27/2022-424 /स्था०, पटना दिनांक-10.02.2026 में अनुशंसित कुल-26 आवेदन पत्रों के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद निर्धारण करते हुए नियुक्ति संबंधी आदेश निर्गत करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापीर  
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- दिनांक-10.02.2026 को सम्पन्न जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में पटना नगर निगम की अनुकम्पा समिति की बैठक में उपस्थापित कुल-36 आवेदनों पर विचार किया गया। जिसमें सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा 26 आवेदन पत्रों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी, जिसकी सूची निम्नवत् है :-

क्रमांक	मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम एवं मृत्यु/से0नि0 की तिथि	आवेदक का नाम, पूरा पता एवं जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	अनुकम्पा समिति का निर्णय
1	2	3	4	5
1.	स्व0 वीणा देवी, सफाई मजदूर, पाटलिपुत्र अंचल, प.न.नि. मृत्यु-02.12.2020 से0नि0-31.12.2024	श्री सचिन कुमार (द्वितीय विवाहित पुत्र), जन्म-05.01.1991, ग्रा0-आदर्शनगर, कॉलोनी, रोड नं0-01, फुलवारीशरिफ, पटना	मैट्रिक	संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
2.	स्व0 उर्मिला, सफाई मजदूर, कंकड़बाग अंचल, प.न.नि. मृत्यु-19.02.2017 से0नि0-28.02.2030	सुश्री अंजली रावत (तृतीय अविवाहित पुत्री) जन्म-16.01.1999, पता:-आर्य कुमार रोड, अमरूदी गली, पो0-बाँकीपुर, जिला-पटना	सप्तम्	आवेदिका महादलित श्रेणी की हैं तथा सप्तम् वर्ग उत्तीर्ण है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 के कंडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कंडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगी। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रंक-13293, दिनांक-05.10.1991 के नियम-1 (घ) के तहत अविवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है। अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग



महापौर  
पटना नगर निगम

			<p>से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित है। बशर्ते कि आवेदिका वर्तमान में अविवाहित हो। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-</b>नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
3.	<p>स्व० महेन्द्र सिंह, मेट, कंकड़बाग अंचल, प.न.नि., मृत्यु-29.05.2022 से०नि०-31.01.2025</p>	<p>श्री सौरव सिंह, (प्रथम अविवाहित पुत्र) जन्म-19.04.2001, डी०भी०सी० रोड, कालीबाड़ी यारपुर, राजपुताना, गर्दनीबाग, पटना-1</p>	<p>इण्टर</p> <p>इस कार्यालय के पत्रंक-940/स्था० दि०-16.03.2024 एवं पत्रंक-3779 दि०-30.12.2024 द्वारा संयुक्त नगर आयुक्त (स्था०), प०नि०नि०, पटना एवं उप नगर आयुक्त (स्था०) से दि०-17.02.2024 को सम्पन्न प०न०नि०, पटना के अनुकम्पा समिति के बैठक में स्व० महेन्द्र सिंह, मेट, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम, पटना के प्रथम अविवाहित पुत्र, श्री सौरव सिंह का आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा आवेदक का शपथ पत्र, अद्यतन अनियोजन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा मृतक का जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र की मांग की गई थी। तदालोक में कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम, पटना के ज्ञापक-240, दिनांक-29.01.2025 एवं उप नगर आयुक्त (स्था०) पटना नगर निगम, पटना के पत्रंक-6112, दिनांक-17.04.2025 द्वारा वांछित कागजात इस कार्यालय को प्राप्त कराया गया है।</p> <p>संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-1900/- (वेतन स्तर-2) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति</p>




निदेश-33  
महापौर  
पटना नगर निगम

				की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
4.	स्व० मुनिया देवी, सफाई मजदूर, बांकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-03.09.2022 से०नि०-30.09.2033	श्रीमती मंजू देवी (पुत्रवधू), जन्म-01.01.1995, काजीपुर, झुग्गी झोपड़ी, रोड नं०-04, बांकीपुर, कदमकुआं, पटना।	निरक्षर	आवेदिका महादलित श्रेणी की हैं तथा निरक्षर है। सा०प्र०वि०, बिहार, पटना के पत्र सं०-10073, दिनांक-18.12.2008 की कॉडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कॉडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगी। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13293, दिनांक-05.10.1991 के नियम-1 (घ) के तहत पुत्र वधू अर्थात पुत्र की विधवा पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है। अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशांसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
5.	स्व० उदय कुमार, सफाई मजदूर, पटना सिटी अंचल, प.नि.नि. मृत्यु-18.05.2015 से०नि०-30.06.2020	श्री चन्दन कुमार (प्रथम पुत्र) जन्म-20.07.1988, मो०-घसियारी टोला, जीतू प्रसाद लेन, चौक पटना	मैट्रिक	संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशांसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य




				<b>कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</b>
6.	स्व० मो० जमालुद्धीन, पाईप लाईन खलासी, जलापूर्ति अंचल, प.नि. नि. मृत्यु-19.06.2023 से०नि०-31.12.2023	सुश्री गुलाबशा (सप्तम् अविवाहित पुत्र), जन्म-20.07.2002, कदमकुआं, जनक किशोर रोड, पटना-3	स्नातक	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13293, दिनांक-05.10.1991 के नियम-1 (घ) के तहत अविवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है। उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1900/- (वेतन स्तर-2) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। <b>अनुपालन:-</b> नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
7.	स्व० शंकर ठाकुर, पिउन, प्रधान कार्यालय, प.न.नि. मृत्यु-28.03.2023 से०नि०-30.11.2024	श्री सतीश कुमार (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-15.06.1984, पी०आई०टी० कॉलोनी, एल-2/53, पो०-लोहिया नगर, था०-पत्रकार नगर, पटना-20	इण्टर	संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1900/- (वेतन स्तर-2) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। <b>अनुपालन:-</b> नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
8.	स्व० बुधु, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-30.04.2004, से०नि०-30.06.2011	श्री प्रसाद मांझी (प्रथम विवाहित पुत्र), जन्म-10.02.1976, यारपुर, मुशहरटोली, था०-गर्दनीबाग, जिला-पटना	निरक्षर	अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प०नि०नि०, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रांक-10543, दिनांक-01.07. 2024 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त है। आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-10073, दिनांक-18.12.2008 की कॉडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कॉडिका-22 के तहत मृत

  
 महापौर  
 पटना नगर निगम

			<p>महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् तथा उम्र क्षाति संबंधित आदेश प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
9.	<p>स्व० रामविलास माँझी, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न. नि. मृत्यु-19.02.2012 से०नि०-30.06.2018</p>	<p>श्रीमती सुन्दरी देवी (पुत्रवधु) जन्म-01.01.1989, शेखपुरा, कपूरी भवन, पटना-14</p>	<p>निरक्षर</p> <p>अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प०नि०नि०, स्थापना-सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रक-10348, दिनांक-27.06.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त है।</p> <p>आवेदिका महादलित श्रेणी की हैं तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-10073, दिनांक-18.12.2008 की कडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-xii की कडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगी। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13293, दिनांक-05.10.1991 के नियम-1 (घ) के तहत पुत्र वधु अर्थात् पुत्र की विधवा पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग</p>



  
 महापौर  
 पटना नगर निगम

				<p>से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-</b> नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
10.	स्व० राम प्रसाद, सफाई मजदूर, पटना सिटी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-24.12.2014 से०नि०-30.09.2020	श्री संजय कुमार (द्वितीय विवाहित पुत्र), जन्म-26.07.1994, गायघाट, काली स्थान, था०-आलमगंज, पो०-गुलजारबाग, जिला-पटना	अष्टम्	<p>अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प०नि०नि०, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है।</p> <p>आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रक-7805, दिनांक-23.09.2002 द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रक-10073, दिनांक-18.12.2008 की कंडिका-2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के तहत महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबधिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई</p>



निर्वाह  
महापौर  
पटना नगर निगम

				करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
11.	स्व0 सोनी, सफाई मजदूर, पटना सिटी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-26.04.2014 से0नि0-30.09.2034	श्री रवि कुमार (द्वितीय पुत्र) जन्म-19.04.1990, छोटी पटन देवी, तिवारी लेन, पो0-झाउगंज, था0-चौक, पटना सिटी, पटना।	मैट्रिक	अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प0नि0नि0, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रंक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है। संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशांसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
12.	स्व0 राम सकल, सफाई मजदूर, बांकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-19.12.2011 से0नि0-30.06.2014	श्री दीपक कुमार (पुत्र) जन्म-11.05.1993, नाला रोड, अम्बेदकर भवन राजेन्द्र नगर, पटना-16	मैट्रिक	अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प0नि0नि0, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रंक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है। सा0प्र0वि0, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-19553, दिनांक-26.12.2013 द्वारा बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2012 के अधिसूचित होने की तिथि दिनांक-12.12.2012 के पूर्व तक पूर्व के नियमावली के अनुसार समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण ही होगी। सा0प्र0वि0, बिहार पटना के पत्रांक-1866, दिनांक-04.02.2015 द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों से प्राप्त वैसे आवेदनों को मान्य किया जायेगा, जो संबंधित विभाग/कार्यालय जहाँ सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक पदस्थापित थे, में मृतक के आश्रित द्वारा



पटना नगर निगम  
महापौर

			<p>दिनांक-12.12.2012 से पूर्व अर्थात् दिनांक-11.12.2012 तक आवेदन समर्पित किये जा चुके हैं। बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2012 के अधिसूचित होने की तिथि दिनांक-12.12.2012 के पूर्व अर्थात् दिनांक-11.12.2012 तक संबंधित विभाग/कार्यालय में समर्पित आवेदन पर आज की तिथि में अनुकम्पात्मक समितियों द्वारा विचार करते समय समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करते समय वांछित शैक्षणिक योग्यता पूर्व की नियमावली, बिहार समूह-'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2010 के अनुसार अष्टम् उत्तीर्ण ही मानी जाय। अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आवेदक का आवेदन दिनांक-12.12.2012 के पूर्व का है। वर्तमान की स्थिति के अनुसार आवेदक श्री दीपक कुमार दिनांक-28.05.2022 को मैट्रिक उत्तीर्ण हुए है।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुषंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</b></p>
13.	स्व० तेजो दास, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-24.12.2005 से०नि०-31.08.2019	श्री ब्रह्मदेव रविदास (प्रथम पुत्र) जन्म-02.02.1987, मंषाडीह, था०-तिसरी, जिला-गिरीडीह	अष्टम् अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प०नि०नि०, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रंक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है। समिति द्वारा जाँच के क्रम में पाया गया कि आवेदक श्री ब्रह्मदेव रविदास, पिता-स्व० तेजो दास का मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी०डब्लू०जे०सी० वाद



नतिर बाइ  
महापौर  
पटना नगर निगम

			<p>सं0-6591/2016 ब्रहमदेव रविदास बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-15.05.2018 को पारित न्यायादेश निम्नवत् हैं :-</p> <p>“Having heard learned counsel for the parties and considering that the application of the petitioner has remained pending inter alia on grounds of non completion of formalities by the petitioner to supply no objection from his family members as well as to submit certificate supportive of his age as well taking note of the statement of the Corporation themselves of having sought such information through letter dated 02.03.2017 bearing Memo No. 596 at AnnexureA after more than a decade of the filing of the application by the petitioner, I would allow one more opportunity to the petitioner to satisfy the respondents on the issue and for the purpose let the petitioner appear before the Executive Officer, Nutan Rajdhani Anchal, Patna Municipal Corporation on/or before 28.05.2018 along with documents referred to above and whereafter let the application of the petitioner for compassionate appointment be taken to its conclusion by the authority competent to do so. The writ petition is disposed of with the direction aforementioned.”</p> <p>उक्त न्यायादेश के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, प0न0नि0, पटना द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ हेतु मामले को अग्रसारित किया गया। दिनांक-30.01.2019 को नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना की अध्यक्षता में संपन्न अनुकम्पा समिति की बैठक में श्री रविदास के मामले को रखा गया। परन्तु जाँच के क्रम में पाया गया कि आवेदक द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित विहित प्रपत्र में</p>
--	--	--	---



महापौर  
पटना नगर निगम

			<p>फोटो युक्त नहीं हैं एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधित मूल प्रति एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति का अभाव है। तत्पश्चात् नगर निगम कार्यालय, पटना के ज्ञापांक-2052, दिनांक-09.02.2019 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल से उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण के उपरान्त अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, प0न0नि0, पटना के पत्रंक- 5036 दि0-26.11.2022 एवं 5256 दिन0-17.12.2022 द्वारा उक्त वांछित कागजात की माँग आवेदक से की गई, जिसके आलोक में आवेदक द्वारा सभी वांछित कागजात कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। तदोपरान्त पटना नगर निगम, पटना द्वारा दिन0-12.05.2022 को श्री ब्रह्मदेव रविदास के प्रस्ताव को अनुशंसा करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया।</p> <p>आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम वर्ग उत्तीर्ण है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दि0-23.09.2002 द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रंक-10073, दिनांक-18.12.2008 की कंडिका-2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के तहत महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबन्धित रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति</p>
--	--	--	---



महापौर  
पटना नगर निगम

				हेतु अनुशासित नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
14.	स्व० राजू राम, सफाई मजदूर, बांकीपुर अंचल, प०न०नि० मृत्यु-03.02.2021 से०नि०-31.05.2049	श्रीमती लक्ष्मी देवी (पत्नी) जन्म-01.01.1987, मो०-डोमखाना, मुस्सलहपुर हाट, पो०-महेन्दु, था०-सुल्तानगंज, जिला-पटना-800006	निरक्षर	आवेदिका महादलित श्रेणी के हैं तथा निरक्षर है। सा०प्र०वि०, बिहार, पटना के पत्र सं०-10073, दिनांक-18.12.2008 की कडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगी। अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशांसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
15.	स्व० अर्जुन महतो, माली, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-12.07.2016 से०नि०-30.04.2018	सुश्री प्रियंका कुमारी (चतुर्थ अविवाहित पुत्री) जन्म-17.05.1998, ग्रा०-बभनगाँवा, पो०-श्रीरामपुर, था०-परसा, जिला-सारण, छपरा	मैट्रिक	इस कार्यालय के पत्रंक-476/स्था० दि०-08.02.2024 द्वारा आवेदिका के विवाहित/अविवाहित होने संबंधी शपथ पत्र एवं मृतक के आश्रितों का भरण-पोषण करने संबंधी शपथ पत्र की मांग की गई, जो प्राप्त है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रंक-13293, दि०-05.10.1991 के नियम-1(घ) के तहत अविवाहित



महापौर

पटना नगर निगम

				<p>पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है।</p> <p>संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। बशर्ते कि आवेदिका वर्तमान में अविवाहित हो। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</b></p>
16.	स्व0 पंचम् मल्लिक, सफाई मजदूर, पटना सिटी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-10.06.2022 से0नि0-31.12.2047	श्रीमती पार्वती देवी (पत्नी), जन्म-01.01.1988, मो0-दीदारगंज, मछुआटोली, पो0-कटरा बाजार, था0-दीदारगंज, पटना	निरक्षर	<p>आवेदिका महादलित श्रेणी के हैं तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0-10073, दिनांक-18.12.2008 की कांडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कांडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगी।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</b></p>
17.	स्व0 नथु, सफाई मजदूर, बांकीपुर अंचल, प.न.नि.	श्री रंजीत मांझी (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-01.01.1984,	निरक्षर	<p>आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा निरक्षर है। सा0प्र0वि0, बिहार, पटना के पत्र सं0-10073, दिनांक-18.12.2008 की</p>



महापौर  
पटना नगर निगम


	मृत्यु-27.12.2014 से0नि0-31.07.2015	ग्रा0-ओलीपुर, गुरुपती चक, पो0-अकौना, मसोढ़ी, पटना		कॉडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-गप की कॉडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।  अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।  अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
18.	स्व0 शीतल, सफाई मजदूर, कंकड़बाग अंचल, प.न.नि. मृत्यु-08.09.2012 से0नि0-30.06.2017	श्री गुड्डु कुमार (द्वितीय विवाहित पुत्र), जन्म-02.01.1992, यारपुर मुशहरी, शिवजी पथ, पो0-जी0पी0ओ0, था0-गर्दनीबाग, जिला-पटना	निरक्षर	अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प0नि0नि0, स्थापना-सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रांक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है।  आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0-10073, दिनांक-18.12.2008 की कॉडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कॉडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।  अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व



गणित  
महापौर  
पटना नगर निगम

				<p>आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
19.	<p>स्व0 राज कुमारी देवी, सफाई मजदूर, बांकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-28.12.2017 से0नि0-31.03.2024</p>	<p>सुश्री पिंकु कुमारी (अविवाहित द्वितीय पुत्री), जन्म-05.03.1998 पूर्वी लोहानीपुर, खादपर, कदमकुआँ, पटना-3</p>	अष्टम्	<p>अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प0नि0नि0, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है।</p> <p>आवेदिका महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दिनांक-23.09.2002 द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10073, दिनांक-18.12.2008 की कॉडिका-2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के तहत महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबंधिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगी। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13293, दिनांक-05.10.1991 के नियम-1 (घ) के तहत अविवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व</p>



  
 महापौर  
 पटना नगर निगम

			<p>आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
20.	<p>स्व0 कलुट, सफाई मजदूर, पटना सिटी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-13.08.2010 से0नि0-31.03.2020</p>	<p>श्री सोनू राम, (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-16.04.1991, बड़ी पटन देवी गली, पो0-गुलजारबाग, था0-आलमगंज, पटना सिटी, पटना</p>	<p>अष्टम्</p> <p>अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प0नि0नि0, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रंक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है।</p> <p>आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रंक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दिनांक-23.09.2002 द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10073, दिनांक-18.12.2008 की कॉडिका-2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के तहत महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबधिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशांसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>



पटना नगर निगम

21.	<p>स्व0 मोती, सफाई मजदूर, कंकड़बाग अंचल, प.न.नि. मृत्यु-06.07.2009 से0नि0-30.06.2013</p>	<p>श्री सुरेश राम (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-01.01.1982, ग्रा0-सिमरा, पो0+था0-परसाबाजार, जिला-पटना</p>	अष्टम्	<p>अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प0नि0नि0, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है।</p> <p>आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रक-7805, दिनांक-23.09.2002 द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रक-10073, दिनांक-18.12.2008 की कॉडिका-2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के तहत महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबधिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशांसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसिता नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
22.	<p>स्व0 हरेन्द्र, सफाई मजदूर, बाँकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-06.06.2023 से0नि0-30.09.2030</p>	<p>श्री बादल कुमार (प्रथम अविवाहित पुत्र) जन्म-11.08.2001 नाला रोड नं0-01,</p>	अष्टम्	<p>आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रक-7805, दिनांक-23.09.2002 द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक</p>



महापौर

पटना नगर निगम

		पानी टंकी के पास, हरिजन कॉलोनी, कदमकुआं, पटना		<p>अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10073, दिनांक-18.12.2008 की कंडिका-2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के तहत महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबधिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
23.	स्व० लाल बाबू राय, पम्प खलासी, जलापूर्ति अंचल, प.न.नि. मृत्यु-31.07.2022, से०नि०-31.08.2028	श्री संजय कुमार (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-06.04.1990, सबलपुर पछियारी टोला, पो०+था०-सोनपुर, जिला-सारण-841101	मैट्रिक	<p>इस कार्यालय के पत्रांक-470/स्था० दि०-08.02.2024 द्वारा किसी न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र की माँग की गई थी, जो प्राप्त है।</p> <p>संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
24.	स्व० शिवा राम, सफाई	श्रीमती सपना देवी	स्नातक	संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के

महापौर  
पटना नगर निगम

	पर्यवेक्षक, नूतन राजधानी अंचल, प.न. नि. मृत्यु-20.06.2024 से0नि0-31.07.2048	(पत्नी) जन्म-11.12.1992, मो0-दुर्गा चरण लेन, पटना सिटी, गुलजारबाग, पटना		आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1900/- (वेतन स्तर-2) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्यवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
25.	स्व0 अजीत कुमार, पम्प चालक, जलापूर्ति अंचल, प.न.नि. मृत्यु-21.06.2023 से0नि0-31.12.2040	श्रीमती अमृता कुमारी (पत्नी) जन्म-08.02.1999, बबुआगंज, पानी टंकी, गुलजारबाग, पटना सिटी, पटना	इण्टर	संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1900/- (वेतन स्तर-2) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्यवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
26.	स्व0 धर्मराज कुमार, चपरासी, प्रधान कार्यालय, प.न.नि. मृत्यु-30.05.2024 से0नि0-31.12.2030	श्री किशन राज (प्रथम अविवाहित पुत्र) जन्म-19.09.2003, ग्रा0-पकौली, पो0-अन्दा, था0-फुलवारीशरीफ, पटना	इण्टर	संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1900/- (वेतन स्तर-2) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्यवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।



उपरोक्त विवरणी के अनुसार कुल-26 अनुकम्पा अभ्यर्थियों में से 20 अनुकम्पा अभ्यर्थियों को वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) में एवं 06 अनुकम्पा अभ्यर्थियों को वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1900 (वेतन स्तर-2) में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रंक-01/स्था0 (लोक)-02/2018-351/न0वि0 एवं आ0वि0, दिनांक-04.02.2021 के कंडिका-2 के उप कंडिका-(vi) में उल्लेखित है कि :- 'समिति के अनुशंसा सदस्य सचिव द्वारा सशक्त स्थायी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु

महापौर  
पटना नगर निगम

उपस्थापित की जाएगी। सशक्त स्थायी समिति अनुशांसा प्राप्ति के एक माह के अन्दर नियुक्ति पर निर्णय लिया जायेगा तथा निर्णयोपरान्त यथास्थिति नगर आयुक्त या नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाएगा।”

**श्री मनोज कुमार** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, अनुकम्पा पर नियुक्ति का विषय काफी दिनों लंबित है। इनके समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाय। इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

**श्री कुमार संजीत** :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

**प्रस्ताव संख्या-577:-** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक-10.02.2026 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक- vi-27/2022-424/स्था0, पटना दिनांक-10.02.2026 में अनुशांसित कुल-26 आवेदन पत्रों के आवेदकों के संबंध में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशांसा किया गया है पर नियुक्ति हेतु सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-

क्रमांक	मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम एवं मृत्यु/से0नि0 की तिथि	आवेदक का नाम, पूरा पता एवं जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	अनुकम्पा समिति का निर्णय
1	2	3	4	5
1.	स्व0 वीणा देवी, सफाई मजदूर, पाटलिपुत्र अंचल,प.न.नि. मृत्यु-02.12.2020 से0नि0-31.12.2024	श्री सचिन कुमार (द्वितीय विवाहित पुत्र), जन्म-05.01.1991, ग्रा0-आदर्शनगर, कॉलोनी, रोड नं0-01, फुलवारीशरिफ,पटना	मैट्रिक	संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशांसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।



निर्देश  
महापौर  
पटना नगर निगम


2.	<p>स्व० उर्मिला, सफाई मजदूर, कंकड़बाग अंचल, प.न.नि. मृत्यु-19.02.2017 से०नि०-28.02.2030</p>	<p>सुश्री अंजली रावत (तृतीय अविवाहित पुत्री) जन्म-16.01.1999, पता:-आर्य कुमार रोड, अमरूदी गली, पो०-बाँकीपुर, जिला-पटना</p>	<p>सप्तम्</p>	<p>आवेदिका महादलित श्रेणी की हैं तथा सप्तम् वर्ग उत्तीर्ण है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 के कंडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कंडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगी। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रक-13293, दिनांक-05.10.1991 के नियम-1 (घ) के तहत अविवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित है। बशर्ते कि आवेदिका वर्तमान में अविवाहित हो। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-</b>नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
3.	<p>स्व० महेन्द्र सिंह, मेट, कंकड़बाग अंचल, प.न.नि., मृत्यु-29.05.2022 से०नि०-31.01.2025</p>	<p>श्री सौरव सिंह, (प्रथम अविवाहित पुत्र) जन्म-19.04.2001, डी०भी०सी० रोड, कालीबाड़ी यारपुर, राजपुताना, गर्दनीबाग, पटना-1</p>	<p>इण्टर</p>	<p>इस कार्यालय के पत्रक-940/स्था० दि०-16.03.2024 एवं पत्रक-3779 दि०-30.12.2024 द्वारा संयुक्त नगर आयुक्त (स्था०), प०नि०नि०, पटना एवं उप नगर आयुक्त (स्था०) से दि०-17.02.2024 को सम्पन्न प०न०नि०, पटना के अनुकम्पा समिति के बैठक में स्व० महेन्द्र सिंह, मेट, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम, पटना के प्रथम अविवाहित पुत्र, श्री सौरव सिंह का आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा आवेदक का शपथ</p>



निर्देश- महापौर  
पटना नगर निगम

			<p>पत्र, अद्यतन अनियोजन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा मृतक का जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र की मांग की गई थी। तदालोक में कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम, पटना के ज्ञापांक-240, दिनांक-29.01.2025 एवं उप नगर आयुक्त (स्था0) पटना नगर निगम, पटना के पत्रंक-6112, दिनांक-17.04.2025 द्वारा वांछित कागजात इस कार्यालय को प्राप्त कराया गया है।</p> <p>संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-1900/- (वेतन स्तर-2) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-</b>नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
4.	<p>स्व0 मुनिया देवी, सफाई मजदूर, बांकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-03.09.2022 से0नि0-30.09.2033</p>	<p>श्रीमती मंजू देवी (पुत्रवधू), जन्म-01.01.1995, काजीपुर, झुग्गी झोपड़ी, रोड नं0-04, बांकीपुर, कदमकुआं, पटना।</p>	<p>निरक्षर</p> <p>आवेदिका महादलित श्रेणी की हैं तथा निरक्षर है। सा0प्र0वि0, बिहार, पटना के पत्र सं0-10073, दिनांक-18.12.2008 की कडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगी। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13293, दिनांक-05.10.1991 के नियम-1 (घ) के तहत पुत्र वधू अर्थात् पुत्र की विधवा पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड</p>



  
 महापौर  
 पटना नगर निगम

				<p>पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:- नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
5.	<p>स्व० उदय कुमार, सफाई मजदूर, पटना सिटी अंचल, प.नि.नि. मृत्यु-18.05.2015 से०नि०-30.06.2020</p>	<p>श्री चन्दन कुमार (प्रथम पुत्र) जन्म-20.07.1988, मो०-घसियारी टोला, जीतू प्रसाद लेन, चौक पटना</p>	मैट्रिक	<p>संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:- नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
6.	<p>स्व० मो० जमालुद्दीन, पाईप लाईन खलासी, जलापूर्ति अंचल, प.नि. नि. मृत्यु-19.06.2023 से०नि०-31.12.2023</p>	<p>सुश्री गुलाबशा (सप्तम् अविवाहित पुत्र), जन्म-20.07.2002, कदमकुआं, जनक किशोर रोड, पटना-3</p>	स्नातक	<p>कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13293, दिनांक-05.10.1991 के नियम-1 (घ) के तहत अविवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है।</p> <p>उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1900/- (वेतन स्तर-2) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:- नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
7.	<p>स्व० शंकर ठाकुर, पिउन, प्रधान कार्यालय, प.न.नि.</p>	<p>श्री सतीश कुमार (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-15.06.1984,</p>	इण्टर	<p>संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1900/- (वेतन स्तर-2)</p>



श्री नर लाइ  
महापौर  
पटना नगर निगम

	मृत्यु-28.03.2023 से0नि0-30.11.2024	पी0आई0टी0 कॉलोनी, एल-2/53, पो0-लोहिया नगर, था0-पत्रकार नगर, पटना-20		के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
8.	स्व0 बुधु, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-30.04.2004, से0नि0-30.06.2011	श्री प्रसाद मांझी (प्रथम विवाहित पुत्र), जन्म-10.02.1976, चारपुर, मुशहरटोली, था0-गर्दनीबाग, जिला-पटना	निरक्षर	अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प0नि0नि0, स्थापना-सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रांक-10543, दिनांक-01.07.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त है। आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0-10073, दिनांक-18.12.2008 की कडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् तथा उम्मीदों संबंधित आदेश प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
9.	स्व0 रामविलास माँझी, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न. नि.	श्रीमती सुन्दरी देवी (पुत्रवधु) जन्म-01.01.1989, शेखपुरा, कपूरी भवन,	निरक्षर	अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प0नि0नि0, स्थापना-सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रांक-10348, दिनांक-27.06.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त है।



महापौर  
पटना नगर निगम

	<p>मृत्यु-19.02.2012 से0नि0-30.06.2018</p>	<p>पटना-14</p>		<p>आवेदिका महादलित श्रेणी की हैं तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0-10073, दिनांक-18.12.2008 की कडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-xii की कडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगी। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13293, दिनांक-05.10.1991 के नियम-1 (घ) के तहत पुत्र वधु अर्थात पुत्र की विधवा पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:- नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
10.	<p>स्व0 राम प्रसाद, सफाई मजदूर, पटना सिटी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-24.12.2014 से0नि0-30.09.2020</p>	<p>श्री संजय कुमार (द्वितीय विवाहित पुत्र), जन्म-26.07.1994, गायघाट, काली स्थान, धा0-आलमगंज, पो0-गुलजारबाग, जिला-पटना</p>	<p>अष्टम्</p>	<p>अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प0नि0नि0, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रांक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है।</p> <p>आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दिनांक-23.09.2002 द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार</p>



				<p>पटना के पत्रंक-10073, दिनांक-18.12.2008 की कॉडिका-2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के तहत महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबंधिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</b></p>
11.	<p>स्व० सोनी, सफाई मजदूर, पटना सिटी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-26.04.2014 से०नि०-30.09.2034</p>	<p>श्री रवि कुमार (द्वितीय पुत्र) जन्म-19.04.1990, छोटी पटन देवी, तिवारी लेन, पो०-झाउगंज, था०-चौक, पटना सिटी, पटना।</p>	मैट्रिक	<p>अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प०नि०नि०, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रंक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है।</p> <p>संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</b></p>
12.	<p>स्व० राम सकल, सफाई मजदूर, बांकीपुर अंचल, प.न.नि.</p>	<p>श्री दीपक कुमार (पुत्र) जन्म-11.05.1993, नाला रोड, अम्बेदकर</p>	मैट्रिक	<p>अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प०नि०नि०, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रंक-10348, दिनांक-27.06.</p>



महापौर

पटना नगर निगम

<p>मृत्यु-19.12.2011 से0नि0-30.06.2014</p>	<p>भवन राजेन्द्र नगर, पटना-16</p>	<p>2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है। सा0प्र0वि0, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-19553, दिनांक-26.12.2013 द्वारा बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2012 के अधिसूचित होने की तिथि दिनांक-12.12.2012 के पूर्व तक पूर्व के नियमावली के अनुसार समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण ही होगी। सा0प्र0वि0, बिहार पटना के पत्रांक-1866, दिनांक-04.02.2015 द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों से प्राप्त वैसे आवेदनों को मान्य किया जायेगा, जो संबंधित विभाग/कार्यालय जहाँ सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक पदस्थापित थे, में मृतक के आश्रित द्वारा दिनांक-12.12.2012 से पूर्व अर्थात् दिनांक-11.12.2012 तक आवेदन समर्पित किये जा चुके हैं। बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2012 के अधिसूचित होने की तिथि दिनांक-12.12.2012 के पूर्व अर्थात् दिनांक-11.12.2012 तक संबंधित विभाग/कार्यालय में समर्पित आवेदन पर आज की तिथि में अनुकम्पात्मक समितियों द्वारा विचार करते समय समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करते समय वांछित शैक्षणिक योग्यता पूर्व की नियमावली, बिहार समूह-'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2010 के अनुसार अष्टम् उत्तीर्ण ही मानी जाय। अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आवेदक का आवेदन दिनांक-12.12.2012 के पूर्व का है। वर्तमान की स्थिति के अनुसार आवेदक श्री दीपक कुमार दिनांक-28.05.2022 को मैट्रिक उत्तीर्ण हुए है। अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति</p>
--	---------------------------------------	---



दीपक कुमार महापौर  
पटना नगर निगम

				हेतु अनुषंसिता। नियुक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्यवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
13.	स्व० तेजो दास, सफाई मजदूर, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-24.12.2005 से०नि०-31.08.2019	श्री ब्रह्मदेव रविदास (प्रथम पुत्र) जन्म-02.02.1987, मंषाडीह, था०-तिसरी, जिला-गिरीडीह	अष्टम्	अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प०नि०नि०, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है। समिति द्वारा जाँच के क्रम में पाया गया कि आवेदक श्री ब्रह्मदेव रविदास, पिता-स्व० तेजो दास का मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी०डब्लू०जे०सी० वाद सं०-6591/2016 ब्रह्मदेव रविदास बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-15.05.2018 को पारित न्यायादेश निम्नवत् हैं :- "Having heard learned counsel for the parties and considering that the application of the petitioner has remained pending inter alia on grounds of non completion of formalities by the petitioner to supply no objection from his family members as well as to submit certificate supportive of his age as well taking note of the statement of the Corporation themselves of having sought such information through letter dated 02.03.2017 bearing Memo No. 596 at AnnexureA after more than a decade of the filing of the application by the petitioner, I would allow one more opportunity to the petitioner to satisfy the respondents on the issue and for the purpose let the petitioner appear before the Executive Officer, Nutan Rajdhani Anchal, Patna Municipal Corporation on/or before 28.05.2018 along with documents referred to above and whereafter let the application of the petitioner for compassionate



नीता लाल महापौर  
पटना नगर निगम

appointment be taken to its conclusion by the authority competent to do so. The writ petition is disposed of with the direction aforementioned."

उक्त न्यायादेश के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, प0न0नि0, पटना द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ हेतु मामले को अग्रसारित किया गया। दिनांक-30.01.2019 को नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना की अध्यक्षता में संपन्न अनुकम्पा समिति की बैठक में श्री रविदास के मामले को रखा गया। परन्तु जाँच के क्रम में पाया गया कि आवेदक द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित विहित प्रपत्र में फोटो युक्त नहीं हैं एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधित मूल प्रति एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति का अभाव है। तत्पश्चात् नगर निगम कार्यालय, पटना के ज्ञापांक-2052, दिनांक-09.02.2019 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल से उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण के उपरान्त अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, प0न0नि0, पटना के पत्रांक- 5036 दि0-26.11.2022 एवं 5256 दिन0-17.12.2022 द्वारा उक्त वांछित कागजात की माँग आवेदक से की गई, जिसके आलोक में आवेदक द्वारा सभी वांछित कागजात कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। तदोपरान्त पटना नगर निगम, पटना द्वारा दिन0-12.05.2022 को श्री ब्रह्मदेव रविदास के प्रस्ताव को अनुशांसा करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया।

आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दि0-23.09.2002 द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक



महापौर  
पटना नगर निगम

				<p>अर्हता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रंक-10073, दिनांक-18.12.2008 की कॉडिका-2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के तहत महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबंधित रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</b></p>
14.	<p>स्व० राजू राम, सफाई मजदूर, बांकीपुर अंचल, प०न०नि० मृत्यु-03.02.2021 से०नि०-31.05.2049</p>	<p>श्रीमती लक्ष्मी देवी (पत्नी) जन्म-01.01.1987, मो०-डोमखाना, मुस्सलहपुर हाट, पो०-महेन्द्रु, था०-सुल्तानगंज, जिला-पटना-800006</p>	निरक्षर	<p>आवेदिका महादलित श्रेणी के हैं तथा निरक्षर है। सा०प्र०वि०, बिहार, पटना के पत्र सं०-10073, दिनांक-18.12.2008 की कॉडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कॉडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगी।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व</p>



पटना नगर निगम

पटना नगर निगम


				<p>आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
15.	<p>स्व० अर्जुन महतो, माली, नूतन राजधानी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-12.07.2016 से०नि०-30.04.2018</p>	<p>सुश्री प्रियंका कुमारी (चतुर्थ अविवाहित पुत्री) जन्म-17.05.1998, ग्रा०-बभनगाँवा, पो०-श्रीरामपुर, था०-परसा, जिला-सारण, छपरा</p>	<p>मैट्रिक</p>	<p>इस कार्यालय के पत्रंक-476/स्था० दि०-08.02.2024 द्वारा आवेदिका के विवाहित/अविवाहित होने संबंधी शपथ पत्र एवं मृतक के आश्रितों का भरण-पोषण करने संबंधी शपथ पत्र की मांग की गई, जो प्राप्त है।</p> <p>कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रंक-13293, दि०-05.10.1991 के नियम-1(घ) के तहत अविवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है।</p> <p>संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। बशर्ते कि आवेदिका वर्तमान में अविवाहित हो। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
16.	<p>स्व० पंचम् मल्लिक, सफाई मजदूर, पटना सिटी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-10.06.2022 से०नि०-31.12.2047</p>	<p>श्रीमती पार्वती देवी (पत्नी), जन्म-01.01.1988, मो०-दीदारगंज, मछुआटोली, पो०-कटरा बाजार, था०-दीदारगंज, पटना</p>	<p>निरक्षर</p>	<p>आवेदिका महादलित श्रेणी के हैं तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-10073, दिनांक-18.12.2008 की कंडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कंडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों</p>



नीलेश कुमार  
महापौर  
पटना नगर निगम

				<p>के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगी।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
17.	<p>स्व० नथु, सफाई मजदूर, बांकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-27.12.2014 से०नि०-31.07.2015</p>	<p>श्री रंजीत मांझी (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-01.01.1984, ग्रा०-ओलीपुर, गुरुपती चक, पो०-अकौना, मसोढ़ी, पटना</p>	निरक्षर	<p>आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा निरक्षर है। सा०प्र०वि०, बिहार, पटना के पत्र सं०-10073, दिनांक-18.12.2008 की कंडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-गृह की कंडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
18.	<p>स्व० शीतल, सफाई मजदूर, कंकड़बाग अंचल, प.न.नि. मृत्यु-08.09.2012</p>	<p>श्री गुड्डु कुमार (द्वितीय विवाहित पुत्र), जन्म-02.01.1992, यारपुर मुशहरी,</p>	निरक्षर	<p>अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प०नि०नि०, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रांक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है।</p>



  
 महापौर  
 पटना नगर निगम

	से0नि0-30.06.2017	शिवजी पथ, पो0-जी0पी0ओ0, था0-गर्दनीबाग, जिला-पटना		<p>आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0-10073, दिनांक-18.12.2008 की कॉडिका-2 राज्य महादलित आयोग के अध्याय-XII की कॉडिका-22 के तहत मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</b></p>
19.	स्व0 राज कुमारी देवी, सफाई मजदूर, बांकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-28.12.2017 से0नि0-31.03.2024	सुश्री पिंगु कुमारी (अविवाहित द्वितीय पुत्री), जन्म-05.03.1998 पूर्वी लोहानीपुर, खादपर, कदमकुओं, पटना-3	अष्टम्	<p>अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प0नि0नि0, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रांक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है।</p> <p>आवेदिका महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दिनांक-23.09.2002 द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10073, दिनांक-18.12.2008 की कॉडिका-2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के तहत महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में</p>



पटना नगर निगम

पटना नगर निगम

			<p>निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबधिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगी। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13293, दिनांक-05.10.1991 के नियम-1 (घ) के तहत अविवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशांसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p><b>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</b></p>
20.	स्व० कलुट, सफाई मजदूर, पटना सिटी अंचल, प.न.नि. मृत्यु-13.08.2010 से०नि०-31.03.2020	श्री सोनू राम, (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-16.04.1991, बड़ी पटन देवी गली, पो०-गुलजारबाग, था०-आलमगंज, पटना सिटी, पटना	<p>अष्टम् अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प०नि०नि०, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रांक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है।</p> <p>आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दिनांक-23.09.2002 द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10073, दिनांक-18.12.2008 की कंडिका-2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के तहत महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में</p>



महापौर  
पटना नगर निगम

				<p>निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
21.	<p>स्व० मोती, सफाई मजदूर, कंकडुबाग अंचल, प.न.नि. मृत्यु-06.07.2009 से०नि०-30.06.2013</p>	<p>श्री सुरेश राम (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-01.01.1982, ग्रा०-सिमरा, पो०+था०-परसाबाजार, जिला-पटना</p>	अष्टम्	<p>अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प०नि०नि०, स्थापना -सह-अनुकम्पा समिति से विलम्ब का कारण एवं प्रतिवेदन पत्रक-10348, दिनांक-27.06.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त है।</p> <p>आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दिनांक-23.09.2002 द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10073, दिनांक-18.12.2008 की कॉडिका-2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के तहत महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p>



महापौर

पटना नगर निगम

			<p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>
22.	<p>स्व0 हरेन्द्र, सफाई मजदूर, बाँकीपुर अंचल, प.न.नि. मृत्यु-06.06.2023 से0नि0-30.09.2030</p>	<p>श्री बादल कुमार (प्रथम अविवाहित पुत्र) जन्म-11.08.2001 नाला रोड नं0-01, पानी टंकी के पास, हरिजन कॉलोनी, कदमकुआं, पटना</p>	<p>अष्टम्</p> <p>आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-3577, दिनांक-25.04.1997 तथा पत्रांक-7805, दिनांक-23.09.2002 द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10073, दिनांक-18.12.2008 की कॉडिका-2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के तहत महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबधिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे।</p> <p>अतः उक्त पत्र एवं संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।</p> <p>अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।</p>



23.	स्व० लाल बाबू राय, पम्प खलासी, जलापूर्ति अंचल, प.न.नि. मृत्यु-31.07.2022, से०नि०-31.08.2028	श्री संजय कुमार (प्रथम विवाहित पुत्र) जन्म-06.04.1990, सबलपुर पछियारी टोला, पो०+था०-सोनपुर, जिला-सारण-841101	मैट्रिक	इस कार्यालय के पत्रंक-470/स्था० दि०-08.02.2024 द्वारा किसी न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र की माँग की गई थी, जो प्राप्त है। संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800/-(वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
24.	स्व० शिवा राम, सफाई पर्यवेक्षक, नूतन राजधानी अंचल, प.न. नि. मृत्यु-20.06.2024 से०नि०-31.07.2048	श्रीमती सपना देवी (पत्नी) जन्म-11.12.1992, मो०-दुर्गा चरण लेन, पटना सिटी, गुलजारबाग, पटना	स्नातक	संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1900/-(वेतन स्तर-2) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
25.	स्व० अजीत कुमार, पम्प चालक, जलापूर्ति अंचल, प.न.नि. मृत्यु-21.06.2023 से०नि०-31.12.2040	श्रीमती अमृता कुमारी (पत्नी) जन्म-08.02.1999, बबुआगंज, पानी टंकी, गुलजारबाग, पटना सिटी, पटना	इण्टर	संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1900/-(वेतन स्तर-2) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदिका के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
26.	स्व० धर्मराज कुमार, चपरासी, प्रधान कार्यालय, प.न.नि.	श्री किशन राज (प्रथम अविवाहित पुत्र)	इण्टर	संबंधित विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1900/-(वेतन स्तर-2)



महापौर  
पटना नगर निगम

मृत्यु-30.05.2024 से0नि0-31.12.2030	जन्म-19.09.2003, ग्रा0-पकौली, पो0-अन्दा, था0-फुलवारीशरीफ, पटना	के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक के सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालन:-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
--	--	---

मद संख्या-15 :- वार्ड संख्या-45 अन्तर्गत 90 फीट सड़क से अम्बेडकर चौक तक सड़क का नामकरण मानस मंदिर पथ करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

मद संख्या-16 :- Construction of U/G Drain and PCC Road Work From B.D Coaching to Towards West House of Ravindra Prasad (Dev Villa) in Rukanpura in Road No.-02 in Ward No.-03 के संबंध में।

अध्यक्ष :- वार्ड संख्या-03 अन्तर्गत भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा स्थिति में आधारभूत संरचना के तहत सड़क एवं नाला निर्माण कार्य का प्रस्ताव है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया गया है, उक्त योजना का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। जो निम्नवत् है :-



क्र0सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
1	Construction of U/G Drain and PCC Road Work From B.D Coaching to Towards West House of Ravindra Prasad (Dev Villa) in Rukanpura in Road No.-02 in Ward No.-03	67,06,400.00 (सरसठ लाख छः हजार चार सौ) रूपये मात्र।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह नया क्षेत्र जहाँ सड़क एवं नाला का अभाव है। आम नागरिकों के हित को देखते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर  
पटना नगर निगम

श्रीमती कांति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रस्ताव से मैं सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-578 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड सं०-02 अन्तर्गत नाला एवं सड़क निर्माण कार्य के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-

क्र०सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
1	Construction of U/G Drain and PCC Road Work From B.D Coaching to Towards West House of Ravindra Prasad (Dev Villa) in Rukanpura in Road No.-02 in Ward No.-03	67,06,400.00 (सरसठ लाख छः हजार चार सौ) रूपये मात्र।

मद संख्या-17 :- Construction of High Yield tube well at bhawar pokhar park, purvi bhag(opposite of vatenary Hospital) in ward no.39.

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता वार्ड संख्या-39 के हाई यील्ड बोरिंग के अधिष्ठापन का संलेख अगली बैठक में रखें।

मद संख्या-18 :- प्रधानमंत्री एकता मॉल के निर्माण हेतु पूर्व से स्वीकृत स्थल में बदलाव करते हुए निगम के प्लॉट संख्या-613 एवं 614 कुल रकबा-3.39 एकड़, मौजा-दूजरा, थाना संख्या-04, खसरा-फुलवारी, पटना पर निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए हस्तान्तरण के संबंध में।

अध्यक्ष :- प्रधानमंत्री एकता मॉल के निर्माण हेतु स्थल परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पूरे भारत वर्ष में 07 स्थानों पर एकता मॉल निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। जिसमें बिहार के पटना भी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4649, दिनांक-28.11.2024 से विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-20.11.2024 को सम्पन्न बैठक में बोरिंग रोड स्थित ए0एन0 कॉलेज एवं पानी टंकी के नजदीक अवस्थित 3.39 एकड़ भूमि पर एकता मॉल के निर्माण हेतु दिनांक-31.01.2025 को सशक्त स्थायी समिति की 13वीं



महापौर  
पटना नगर निगम

साधारण बैठक के अतिरिक्त मद संख्या-02, प्रस्ताव संख्या-367 में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

दिनांक-18.03.2026 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में पूर्व से प्रस्तावित प्रधानमंत्री एकता मॉल का निर्माण स्थल को तकनीकी कारणों से बदलवा करते हुए निगम स्वामित्व के नये स्थल यथा- प्लॉट संख्या-613 एवं 614 कुल रकबा-3.39 एकड़, मौजा-दूजरा, थाना संख्या-04, खेसरा-फुलवारी, पटना पर निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है, जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री एकता मॉल के निर्माण हेतु पूर्व से स्वीकृत स्थल में बदलाव करते हुए निगम के प्लॉट संख्या-613 एवं 614 कुल रकबा-3.39 एकड़, मौजा-दूजरा, थाना संख्या-04, खेसरा-फुलवारी, पटना पर निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही अनुरोध किया गया है कि जमनी के एवज में नगर निगम को बेसमेंट+ दो मंजिला भवन बनाकर निगम को स्थानान्तरण करेंगे। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। पूरे भारतवर्ष में सात शहरों में से पटना को प्रधानमंत्री एकता मॉल बनाने का स्वाभाग्य प्राप्त हुआ है। यह खुशी की बात है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-579 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री एकता मॉल के निर्माण हेतु पूर्व से स्वीकृत स्थल में बदलाव करते हुए निगम के प्लॉट संख्या-613 एवं 614 कुल रकबा-3.39 एकड़, मौजा-दूजरा, थाना संख्या-04, खेसरा-फुलवारी, पटना पर निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्वद को अनुशंसित किया जाता है। साथ ही आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया है कि निगम के जमीन के एवज में पटना नगर निगम को बेसमेंट + दो मंजिला भवन बनाकर हस्तान्तरण करने की कार्रवाई की जाय।



*महापौर*  
महापौर  
पटना नगर निगम

मद संख्या-19 :- माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा द्वारा MJC No. 3191/2024(jyoti singh vs The State of Bihar and Ors.) में पारित आदेश दिनांक- 30.01.2026 के अनुपालन में अपसारित किए गये राजेन्द्र नगर स्थित फ्लैट सं0-197, ब्लॉक-25, टाईप-I&J के उपरान्त वादी ज्योति सिंह को किराये पर रहने की स्थिति में किराये का भुगतान और / या पुनर्निर्माण होने तक उन्हें पटना नगर निगम के किसी खाली फ्लैट में समायोजित कराने के संबंध में निर्णय लिये जाने के संबंध में।

अध्यक्ष :- वादी ज्योति सिंह को किराये पर रहने हेतु किराया या खाली फ्लैट आवंटन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर सचिव :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वादी श्रीमती ज्योति सिंह(किरायेदार) द्वारा MJC No. 3191/2024(jyoti singh vs The State of Bihar and Ors.) मुकदमा दायर किया गया है। श्रीमती सिंह का कहना है कि भवन निर्माण होने तक किराया या पटना नगर निगम में किसी खाली फ्लैट में समायोजित किया जाय। इस विषय पर निर्णय हेतु समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह तो निगम के प्रति अत्याचार हो रहा है। ज्योति सिंह मूल आवंटी के किरायेदार थे। जो निगम पर मुकदमा दायर कर रही है। माननीया अध्यक्ष महोदया, इस संबंध में दिनांक-12.01.2026 को आहूत सशक्त स्थायी समिति 19वीं साधारण बैठक के मद संख्या-10, प्रस्ताव संख्या-590 में स्पष्ट निर्णय लिया जा चुका है कि अपसारित किये गये ब्लॉक-28, टाईप-I&J एवं ब्लॉक-25 टाईप-I&J का पुनर्निर्माण एवं आवंटन के संबंध में नीति निर्धारण हेतु निगम के पदाधिकारियों के बीच एक कमिटी का गठन किया गया है। कमिटी जो निर्णय लेगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी। पूर्व के प्रस्ताव यथावत रहेंगे।



श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, संबंधित वाद में प्रस्ताव संख्या-590 में प्रस्ताव पारित किया गया है। पदाधिकारियों के कमिटी का जो निर्णय आया नियमानुसार कार्रवाई करना निगमहित में होगा। पूर्व के प्रस्ताव को यथावत रखा जाय।

मद संख्या-20 :- माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा CWJC No-11869/2017 (श्री गोपाल चन्द्र प्रसाद व अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक-21.01.2019 के अनुपालन में श्री गोपाल चन्द्र प्रसाद एवं श्री

पटना नगर निगम

उमाशंकर सिंह, सेवानिवृत पेशाकर निरीक्षक, पटना नगर निगम को राजस्व पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।

**अध्यक्ष :-** राजस्व पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

**नगर सचिव :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, श्री गोपाल चन्द्र प्रसाद एवं श्री उमा शंकर सिंह, सेवा निवृत, पेशाकर निरीक्षक द्वारा राजस्व पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु माननीय उच्च न्यायालय में CWJC NO-7658/2007 दायर किया गया है। उनकी प्रोन्नति ज्ञाप संख्या-9552, दिनांक-03.09.2016 द्वारा प्रोन्नति के दावा को अस्वीकृत कर दिया गया है। जिस पर सशक्त स्थायी समिति को निर्णय हेतु रखा गया है।

**श्री कुमार संजीत :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, जब कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के पूर्व प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला तो सेवा निवृत्ति के बाद प्रोन्नति का लाभ कैसे मिलेगा।

**श्री मनोज कुमार :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, सेवा निवृत्ति के बाद कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिल रहा है तो सरकार के नियमानुसार कार्रवाई की जाय। श्री गोपाल चन्द्र प्रसाद एवं श्री उमा शंकर सिंह वर्तमान धारित मूल पद कर-संग्रहक है, राजस्व पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के दावा किया जाना नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। अतएव इनके दावा को अस्वीकृत किया जाय।

**प्रस्ताव संख्या-580 :-** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री गोपाल चन्द्र प्रसाद एवं श्री उमाशंकर सिंह, सेवानिवृत निवृत का मूल पद कर-संग्रहक है, जो प्रोन्नति के प्रक्रम में नहीं आते है। अतएव इनके प्रोन्नति के दावा को सशक्त स्थायी समिति द्वारा अस्वीकृत किया जाता है।

**अ0मद संख्या-01 :-** रोनी देवी, पति-मुकेश राम, अम्बेदकर भवन, लोहानीपुर, पटना की पुत्री अर्चना कुमारी की ईलाज करवाने हेतु मुआवजा की राशि उपनब्ध कराने के संबंध में।



ईलाज करवाने हेतु मुआवजा की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

विश्व बाबू  
महापौर  
पटना नगर निगम

**नगर आयुक्त:-** रोनी देवी, पति-मुकेश राम, अम्बेदकर भवन, लोहानीपुर, पटना की पुत्री अर्चना कुमारी की ईलाज करवाने हेतु मुआवजा की राशि उपलब्ध कराने से संबंधित है।

उल्लेखनीय है कि कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम के पत्रक-589, दिनांक-28.03.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक-14.03.2026 को बाँकीपुर अंचल क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-43 में अवस्थित अम्बेदकर भवन की छज्जा गिरने का घटना हुआ है। जिसमें अर्चना कुमारी माता-रोनी देवी, पिता-मुकेश राम, अम्बेदकर भवन, लोहानीपुर, पटना के पैर पर छज्जा गिर जाने के कारण गहरी चोट लगी है। इनका ईलाज मगध हॉस्पिटल लोहानीपुर, पटना में कराया गया है। अर्चना कुमारी की पैर का ऑपरेशन हेतु हॉस्पिटल का खर्च लगभग 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र बताया गया है। रोनी देवी, पति-मुकेश राम द्वारा आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है कि मैं एक गरीब महिला हूँ। मेरी पुत्री अर्चना कुमारी की पैर का ऑपरेशन कराने हेतु 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में रोनी देवी, पति-मुकेश राम, अम्बेदकर भवन, लोहानीपुर, पटना की पुत्री अर्चना कुमारी की ईलाज में हुए व्यय का अभिश्रव के भुगतान अस्पताल द्वारा दिये गये Medical Bill के आधार पर करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

**श्री मनोज कुमार :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, रोनी देवी, पति-मुकेश राम जो काफी निर्धन व्यक्ति है। निगम आवास का छत गिरने के कारण उसकी पुत्री अर्चना कुमारी के पैर में काफी गहरी चोट लगी है। जिसके ईलाज हेतु अस्पताल द्वारा दिये गये Medical Bill के आधार एक लाख रू० की राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

**श्री अनीता देवी :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ, इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

**प्रस्ताव संख्य- 581 :-**

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रोनी देवी, पति-मुकेश राम, अम्बेदकर भवन, लोहानीपुर, पटना की पुत्री अर्चना कुमारी की ईलाज करवाने हेतु अस्पताल द्वारा दिये गये Medical Bill के आधार 1,00,000/- (एक लाख रूपया) मात्र मुआवजा की राशि भुगतान करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।



*सुधांशु*  
महापौर  
पटना नगर निगम

अ0मद संख्या-02:- **Construction of Crematorium (Electrical 02 Set) Near of Old Digha Crematorium Under Ward No.-01 के स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के बढ़ते हुए शहरीकरण एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा स्थिति में वार्ड सं०-01 अन्तर्गत स्थित पुराने दीघा शवदाह गृह के समीप विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराने का प्रस्ताव है। संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार किया गया है। मुख्य अभियंता, आधारभूत संरचना एवं परिवहन, दक्षिण बिहार उपभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रंक- 71 (अनु०), दिनांक- 16.02.2026 के माध्यम से रूपये 4,99,61,100.00 (चार करोड़ निन्यानबे लाख एकसाठ हजार एक सौ) मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में वर्णित योजना की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है, जो निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
01	Construction of Crematorium (Electrical 02 Set) Near of Old Digha Crematorium Under Ward No.-01	4,99,61,100.00 (चार करोड़ निन्यानबे लाख एकसाठ हजार एक सौ) रूपये मात्र।

मु0नगर अभियंता :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि दीघा स्थित पुराने शवदाह गृह के निकट विद्युत शवदाह गृह बनाने के लिए राशि 4,99,61,100.00 (चार करोड़ निन्यानबे लाख एकसाठ हजार एक सौ) एन0टी0पी0सी0 द्वारा सी0एस0आर0 मद से प्राप्त होगा। शवदाह गृह का निर्माण नगर निगम द्वारा कराया जायेगा।



श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, विद्युत शवदाह गृह बनाने में निगम का कोई राशि व्यय नहीं हो रही है। पुराने शवदाह गृह के निकट विद्युत शवदाह गृह बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री...  
महापौर  
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-582:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड सं०-01 अन्तर्गत स्थित पुराने दीघा शवदाह गृह के समीप विद्युत शवदाह गृह निर्माण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जो निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
01	Construction of Crematorium (Electrical 02 Set) Near of Old Digha Crematorium Under Ward No.-01	4,99,61,100.00 (चार करोड़ नित्यानवे लाख एकसठ हजार एक सौ) रूपये मात्र।

इस विद्युत शवदाह गृह के निर्माण पर व्यय होने वाली राशि एन०टी०पी०सी० द्वारा सी०एस०आर० मद से निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के द्वारा दीघा स्थित निगम के भूखंड पर तमिलनाडु राज्य के ईशा फाउंडेशन द्वारा आधुनिक शव-दाह गृह बनाने का प्रस्ताव आया है। जहाँ पर एल०पी०जी० द्वारा दाह संस्कार किया जाएगा।

अ०मद संख्या-03 :- पटना नगर निगम के मुख्यालय, अंचल एवं प्रमंडल का वित्तीय वर्ष 2025-26 का लेखा संधारण (Tally Double Entry, Cash Book entry, Balance Sheet) एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट तैयार करने के लिए चयनित एजेंसी (RSNM & co.) को कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट तैयार करने के लिए चयनित एजेंसी (RSNM & co.) को कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के मुख्यालय, सभी अंचल एवं सभी प्रमंडल का वित्तीय वर्ष 2025-26 का लेखा संधारण (Tally Double Entry, Cash Book entry, Balance Sheet) एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट तैयार करने के लिए क्रय समिति की अनुशंसा के आलोक में न्यूनतम L1 एजेंसी (RSNM & co.) को कार्य आवंट हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।



पति गीत  
महापौर  
पटना नगर निगम

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मुख्यालय, सभी अंचल एवं सभी प्रमंडल का लेखा कार्य अस्त-व्यस्त है। इसमें सुधार के लिए आन्तरिक अंकेक्षण दल को रखना अतिआवश्यक है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-583 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के मुख्यालय, सभी अंचल एवं सभी प्रमंडल का वित्तीय वर्ष 2025-26 का लेखा संघारण (Tally Double Entry, Cash Book entry, Balance Sheet) एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट तैयार करने हेतु (RSNM & co.) को कार्य आवंटन तथा नये एजेंसी के चयन होने तक कार्य करने हेतु प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ0मद संख्या-04:- जलापूर्ति प्रमंडल, पटना नगर निगम अन्तर्गत कुल-27 जलापूर्ति केन्द्रों पर मानवबल उपलब्ध कराने के सम्बंध में

अध्यक्ष :- 27 जलापूर्ति केन्द्रों पर मानवबल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- जलापूर्ति प्रमंडल द्वारा PHED, BUIDCO तथा जलापूर्ति प्रमंडल के अन्तर्गत संवेदकों द्वारा हस्तांतरण कुल-27 जलापूर्ति केन्द्रों पर पूर्व से कार्यरत कुल-34 कर्मियों को वांछित कर्मियों (कुल-63) में समायोजित किया जाना है समायोजित किये जाने के पश्चात अभी शेष 29 कर्मियों की आवश्यकता है। जिसकी सूची एवं विवरणी निम्नवत् हैं :-

क्र. सं.	वार्ड सं०	विभाग/ कार्यालय जिससे हस्तांतरण लिया जाना है	जलापूर्ति केन्द्रों के नाम	पूर्व से कार्यरत पम्प संचालक की सं०	पूर्व से कार्यरत पम्प संचालक के समायोजन की तिथि	पम्प संचालक का नाम	दो पालीयों में संचालन हेतु अतिरिक्त पम्प संचालक की आवश्यकता	रिलीभर (पम्प संचालक) की आवश्यकता	अभ्युक्ति
1.	12	बुडको	शिवपुरी बेउर मोड़ के नजदीक	1	07.05.2024	संजय कुमार	1	27/3 = 9	पूर्व से कार्यरत पम्प संचालक (कुल 34) के समायोजन के पश्चात् अतिरिक्त मानव बल
2.	15	बुडको	गर्दनीबाग रोड नं०-15	1	07.05.2024	प्रेम रंजन मौर्या	1		
3.	21	बुडको	श्रीकृष्णापुरी चिल्ड्रेन पार्क	1	07.05.2024	रोहित कुमार	1		

पटना नगर निगम

4.	21	बुडको	पानी टंकी ए. एन. कॉलेज	1	07.05.2024	आकाश कुमार	1	(कुल 29) के समायोजन की तिथि उनके योगदान की तिथि से देय होगी।
5.	24	बुडको	दुजरा	1	07.05.2024	बबलु राय	1	
6.	34	बुडको	तिवारी बेचर	1	07.05.2024	मनीष कुमार	1	
7.	36	बुडको	लालजी टोला	1	07.05.2024	अशर्फी कुमार	1	
8.	43	बुडको	कॉग्रेस मैदान	1	07.05.2024	रवि रंजन मौर्या	1	
9.	46	बुडको	सेक्टर-03 भूतनाथ	1	07.05.2024	सोनु कुमार	1	
10.	48	बुडको	सैदपुर नहर (शिवम अपार्टमेंट के सामने)	1	07.05.2024	राम कुमार	1	
11.	54	बुडको	नेहरू शिशु मंदिर	1	07.05.2024	राजेश कुमार	1	
12.	57	बुडको	तुलसी मण्डी	1	07.05.2024	अनंत कुमार	1	
13.	63	बुडको	रानीपुर खिड़की	1	07.05.2024	सुरेन्द्र पासवान	1	
14.	64	बुडको	मंगल तालाब	1	07.05.2024	मो0 नेहाल अहमद	1	
15.	69	बुडको	चौक थाना	1	07.05.2024	रणधीर सिंह	1	
16.	22ए	लो.स्वा.अभि. विभाग	संगम कॉलोनी	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. अनिल कुमार 2. विट्टू कुमार	0	
17.	01	लो.स्वा.अभि. विभाग	दीघा नया	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. अरविन्द कुमार 2. मनोज कुमार	0	
18.	01	लो.स्वा.अभि. विभाग	हामीदपुर	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. अभय कुमार 2. प्रमोद कुमार	0	
19.	22ब ी	लो.स्वा.अभि. विभाग	सदाकत आश्रम	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. पंकज कुमार 2. सोनी कुमारी	0	
20.	22	लो.स्वा.अभि. विभाग	नेहरू नगर	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. जागृती देवी 2. अंकिता तिवारी	0	
21.	22ब ी	लो.स्वा.अभि. विभाग	इन्डस्ट्रीयल एरिया (कोका कोला)	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. चॉसी कुमार 2. रोहित कुमार	0	
22.	22ब ी	लो.स्वा.अभि. विभाग	इन्डस्ट्रीयल एरिया (साई मंदिर)	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. मेनका कुमारी 2. उपेन्द्र कु0 यादव	0	
23.	27	जला0 प्र0 अन्तर्गत संवेदक द्वारा संचालित	छज्जुबाग	1	04.08.2024	विजय कुमार साह	1	
24.	27	जला0 प्र0 अन्तर्गत संवेदक द्वारा	कॉलेक्टरिएट, पटना	1	06.06.2025	रोहित कुमार	1	



जिना लाइ महापौर  
पटना नगर निगम

		संचालित						
25	41	जला0 प्र0 अन्तर्गत संवेदक द्वारा संचालित	यूनिवर्सिटी	1	08.02.2025	जयराम प्रसाद	1	
26	43	जला0 प्र0 अन्तर्गत संवेदक द्वारा संचालित	राजेन्द्र नगर रोड नं.-1	1	17.11.2024	पियूष सिंह	1	
27	53	जला0 प्र0 अन्तर्गत संवेदक द्वारा संचालित	बालगृह	1	21.10.2025	राजकुमार	1	
कुल योग				34			20	09

जलापूर्ति प्रमंडल के प्रतिवेदन के अनुसार PHED, BUIDCO तथा जलापूर्ति प्रमंडल अन्तर्गत संवेदकों से हस्तांतरण हेतु ली जानी वाली कुल-27 जलापूर्ति केन्द्रों में पूर्व से कार्यरत कुल-34 मानवबल को वांछित (कुल-63) में समायोजन कर शेष-29 मानवबल चयनित एजेंसी के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी, जलापूर्ति अंचल को उपलब्ध कराना है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

**श्री मनोज कुमार :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, पम्प पर कम से कम दो कर्मी होना चाहिए। क्योंकि एक कर्मी 24 घंटा कार्य नहीं कर पायेगा। मेरा सुझाव है कि शेष 29 कर्मियों को एजेंसी के माध्यम से रखने की स्वीकृति दी जा सकती है।

**अपर नगर आयुक्त(प्रवर्तन) :-** माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि 27 पम्पों पर 63 कर्मियों की आवश्यकता है। जिसमें 34 कर्मी PHED, BUIDCO तथा जलापूर्ति प्रमंडल से कार्यरत है, शेष 29 की अभी आवश्यकता है। इन सभी कर्मियों को एजेंसी के माध्यम से रखने का प्रस्ताव है।

**श्री कुमार संजीत :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, पेय जल की समस्या को देखते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

**प्रस्ताव संख्या-584 :-** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जलापूर्ति प्रमंडल के अन्तर्गत PHED, BUIDCO तथा जलापूर्ति प्रमंडल पटना नगर निगम अन्तर्गत कुल-27 जलापूर्ति केन्द्रों पर पूर्व से कार्यरत 34 मानवबल के अतिरिक्त 29 मानवबल एजेंसी के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी, जलापूर्ति प्रमंडल को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा



श्री 584 महापौर  
पटना नगर निगम

स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पषद को अनुशंसित किया जाता है। पूर्व से 27 जलापूर्ति केन्द्रों पर कार्यरत कर्मियों की सूची निम्नवत् है :-

क्र. सं.	वार्ड सं०	विभाग/ कार्यालय जिससे हस्तांतरण लिया जाना है	जलापूर्ति केन्द्रों के नाम	पूर्व से कार्यरत पम्प संचालक की सं०	पूर्व से कार्यरत पम्प संचालक के समायोजन की तिथि	पम्प संचालक का नाम	दो पालीयों में संचालन हेतु अतिरिक्त पम्प संचालक की आवश्यकता	रिलीभर (पम्प संचालक) की आवश्यकता	अभ्युक्ति
1.	12	बुडको	शिवपुरी बेउर मोड़ के नजदीक	1	07.05.2024	संजय कुमार	1	27/3 = 9	पूर्व से कार्यरत पम्प संचालक (कुल 34) के समायोजन के पश्चात् अतिरिक्त मानव बल (कुल 29) के समायोजन की तिथि उनके योगदान की तिथि से देय होंगी।
2.	15	बुडको	गर्दनीबाग रोड नं०-15	1	07.05.2024	प्रेम रंजन मौर्या	1		
3.	21	बुडको	श्रीकृष्णापुरी चिल्ड्रेन पार्क	1	07.05.2024	रोहित कुमार	1		
4.	21	बुडको	पानी टंकी ए. एन. कॉलेज	1	07.05.2024	आकाश कुमार	1		
5.	24	बुडको	दुजरा	1	07.05.2024	बबलु राय	1		
6.	34	बुडको	तिवारी बेचर	1	07.05.2024	मनीष कुमार	1		
7.	36	बुडको	लालजी टोला	1	07.05.2024	अशर्फी कुमार	1		
8.	43	बुडको	काँग्रेस मैदान	1	07.05.2024	रवि रंजन मौर्या	1		
9.	46	बुडको	सेक्टर-03 भूतनाथ	1	07.05.2024	सोनु कुमार	1		
10.	48	बुडको	सैदपुर नहर (शिवम अपार्टमेन्ट के सामने)	1	07.05.2024	राम कुमार	1		
11.	54	बुडको	नेहरू शिशु मंदिर	1	07.05.2024	राजेश कुमार	1		
12.	57	बुडको	तुलसी मण्डी	1	07.05.2024	अनंत कुमार	1		
13.	63	बुडको	रानीपुर खिड़की	1	07.05.2024	सुरेन्द्र पासवान	1		
14.	64	बुडको	मंगल तालाब	1	07.05.2024	मो० नेहाल अहमद	1		
15.	69	बुडको	चौक थाना	1	07.05.2024	रणधीर सिंह	1		
16.	22ए	लो.स्वा.अभि. विभाग	संगम कॉलोनी	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. अनिल कुमार 2. बिट्टू कुमार	0		
17.	01	लो.स्वा.अभि. विभाग	दीघा नया	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. अरविन्द कुमार 2. मनोज कुमार	0		



पटना नगर निगम  
पटना नगर निगम

18	01	लो.स्वा.अभि. विभाग	हामीदपुर	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. अभय कुमार 2. प्रमोद कुमार	0		
19	22ब ी	लो.स्वा.अभि. विभाग	सदाकत आश्रम	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. पंकज कुमार 2. सोनी कुमारी	0		
20	22	लो.स्वा.अभि. विभाग	नेहरू नगर	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. जागृती देवी 2. अंकिता तिवारी	0		
21	22ब ी	लो.स्वा.अभि. विभाग	इन्डस्ट्रीयल एरिया (कोका कोला)	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. चौसी कुमार 2. रोहित कुमार	0		
22	22ब ी	लो.स्वा.अभि. विभाग	इन्डस्ट्रीयल एरिया (साई मंदिर)	2	हस्तांतरण की तिथि से	1. मेनका कुमारी 2. उपेन्द्र कु0 यादव	0		
23	27	जला0 प्र0 अन्तर्गत संवेदक द्वारा संचालित	छज्जुबाग	1	04.08.2024	विजय कुमार साह	1		
24	27	जला0 प्र0 अन्तर्गत संवेदक द्वारा संचालित	कॉलेक्टोरिएट, पटना	1	06.06.2025	रोहित कुमार	1		
25	41	जला0 प्र0 अन्तर्गत संवेदक द्वारा संचालित	यूनिवर्सिटी	1	08.02.2025	जयराम प्रसाद	1		
26	43	जला0 प्र0 अन्तर्गत संवेदक द्वारा संचालित	राजेन्द्र नगर रोड नं.-1	1	17.11.2024	पियूष सिंह	1		
27	53	जला0 प्र0 अन्तर्गत संवेदक द्वारा संचालित	बालगृह	1	21.10.2025	राजकुमार	1		
कुल योग				34			20	09	



अ0मद संख्या-05:- पटना जिला अन्तर्गत सम्पतचक प्रखंड में प्रस्तावित 220/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 323.4 डिसमिल भूमि बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के साथ हस्तांतरित करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर  
पटना नगर निगम

**नगर आयुक्त :-** सम्पतचक प्रखंड में प्रस्तावित 220/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु अधियाचित 323.4 डिसमिल भूमि पटना नगर निगम द्वारा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन निर्माण हेतु मौजा-बैरिया, थाना नं0-22, रकवा-33.67 एकड़ अधिग्रहित भूमि का हिस्सा है, जिसके अधिग्रहण उपरांत जिला प्रशासन द्वारा उक्त प्रासंगिक भूमि का हस्तान्तरण पटना नगर निगम को वर्ष-2009 में किया गया है।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल पटना (पूर्वी) पत्रांक-565 सं0 प्र0 पटना (पूर्वी)/विविध/संदक/706/2025, दिनांक-02.12.2025 के द्वारा अंचलाधिकारी, सम्पतचक (पटना) के पत्रांक-584, दिनांक-19.03.2025 की प्रति संलग्न करते हुए 220/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 323.4 डि0 पटना नगर निगम के स्वामित्व के भूखण्ड से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के नाम से हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

निदेशक शहरी योजना, पटना नगर निगम का पत्रांक-16431, दिनांक-08.12.2025 के द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल पटना (पूर्वी) पत्रांक-565 सं0 प्र0 पटना (पूर्वी)/विविध/संदक/706/2025, दिनांक-02.12.2025 के आलोक में कुल 400 डि0 भूखण्ड की आवश्यकता के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। जिसमें उक्त स्थल पर पूर्व से ही 76.6 डि0 (पश्चिम में 152', उत्तर में 234', पूरब में 133', दक्षिण में 234') बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के अधीन होने की सूचना दी गयी है। शहरी योजना शाखा के द्वारा किये गये स्थल मापी के उपरांत निम्न विवरण के अनुसार भूखण्ड (मौजा-बैरिया, थाना नं0-122) का हस्तांतरण करने की कार्रवाई करने हेतु अनुशंसित किया गया है।

क्र0 सं0	खाता	खेसरा नं0	रकवा (डि0)
1.	348	29	58.49
2.	348	28	35.20
3.	508	27	17.309
4.	332	26	27.861
5.	217	15	44.537
6.	281	14	140.00
कुल-			323.4

उपरोक्त वर्णित बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के पत्रांक-565 सं0 प्र0 पटना (पूर्वी)/विविध/संदक/706/2025, दिनांक-02.12.2025 एवं निदेशक शहरी योजना, पटना नगर निगम का पत्रांक-16431, दिनांक-08.12.2025 के आलोक में प्रस्तावित 220/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु पटना नगर निगम के स्वामित्व के अधीन 33.67 एकड़ भूखण्ड में से अधियाचित 323.4 डिसमिल भूमि



*(Handwritten Signature)*  
महापौर  
पटना नगर निगम

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय/स्वीकृति हेतु रखा गया है।

**श्री कुमार संजीत :-** माननीया अध्यक्ष महोदया बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को निगम द्वारा भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और उस भूमि से वह बिजली की आपूर्ति नागरिकों को करेगा, जिससे वह नागरिकों से राजस्व की प्राप्ति भी करेगा। तो निगम को भी बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 104(ख) के अनुरूप जमीन के बदले उसी प्रकृति या यथेष्ट मूल्य का जमीन या जमीन के बदले राशि निगम को उपलब्ध कराना होगा। इस शर्त के साथ बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को भूमि उपलब्ध कराया जा सकता है।

**श्री मनोज कुमार :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। नगर निगम अपना भूमि किसी को फ्री में क्यों देगा?

**श्रीमती श्वेता राय :-** माननीया अध्यक्ष महोदया, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को निगम भूमि उपलब्ध करा रही है। जिससे वह राजस्व की प्राप्ति भी करेगा। तो उसे निगम को भूमि के बदले भूमि या उसके बदले राशि देनी होगी।

**प्रस्ताव संख्या-585 :-** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना जिला अन्तर्गत सम्पतचक प्रखंड में प्रस्तावित 220/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 323.4 डिसमिल भूमि बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के साथ हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 104(ख) के अनुरूप जमीन के बदले उसी प्रकृति या यथेष्ट मूल्य का जमीन या जमीन के बदले राशि निगम को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्वद को अनुशासित किया जाता है।

**अ0मद संख्या-07:-** पटना नगर निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न एजेंसी के मानवबल (चालक/मजदूर-सफाई कार्य) का पारिश्रमिक वृद्धि के संबंध में।

**अध्यक्ष :-** एजेंसी के माध्यम से कार्यरत मानवबल का पारिश्रमिक वृद्धि का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।



**निधि राय**  
महापौर  
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु वर्तमान में 03(तीन) एजेंसी यथा- 1. M/S Mauryan Kars Auto Services LLP 2. Virtuous India Pvt. Ltd & 3. M4 Solution Pvt. Ltd. चयनित/कार्यरत है। चयनित एजेंसियों के साथ किये गये एकरारनामा के अनुसार कार्यावधि 02 (दो) वर्ष निर्धारित है। तथा दो वर्ष बादी कार्यावधि में 01 (एक) वर्ष वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है।

दिनांक- 31.01.2025 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 13वीं साधारण बैठक के अतिरिक्त मद संख्या-07, प्रस्ताव संख्या-372 पर 1. M/S Mauryan Kars Auto Services LLP 2. Virtuous India Pvt. Ltd & 3. M4 Solution Pvt. Ltd. एजेंसी को दिनांक-30.04.2025 तक कार्यावधि विस्तार किया गया है।

विभागीय पत्रांक-1359, दिनांक-09.04.2025 के आलोक में उक्त एजेन्सी वर्तमान में कार्यरत है।

बिहार सरकार (श्रम संसाधन विभाग) के द्वारा प्रकाशित गजट की अधिसूचना संख्या 232, दिनांक-08.04.2025 से न्यूनतम मजदूरी की दर प्रतिदिन के अनुसार अधिसूचित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है


:-

क्र0	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.04.2025 से लागू मजदूरी की दरें
1	अकुशल	424.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	440.00 प्रतिदिन
3	कुशल	536.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	654.00 प्रतिदिन

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना ज्ञापांक-1662, दिनांक- 28.03.2025 के द्वारा श्रमिकों की उनकी कार्य कुशलता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें चालक(LMV) को कुशल श्रेणी में , चालक (HMV) को अतिकुशल श्रेणी में एवं सफाई कर्मचारी(नाला, गाड़ी, कार्यालय, अस्पताल आदि) को अकुशल श्रेणी में रखा गया है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।



श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को दैनिक पारिश्रमिक में वृद्धि हो गया है तो एजेंसी के माध्यम से कार्यरत मानवबल के भी पारिश्रमिक में वृद्धि होनी चाहिए। यह प्रस्ताव कर्मचारी एवं निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

  
महापौर  
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीया सदस्या का प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-586 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना ज्ञापांक-1662, दिनांक- 28.03.2025 के द्वारा श्रमिकों की उनकी कार्य कुशलता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें चालक(LMV) को कुशल श्रेणी में, चालक (HVM) को अतिकुशल श्रेणी में एवं सफाई कर्मचारी(नाला, गाड़ी, कार्यालय, अस्पताल आदि) को अकुशल श्रेणी में रखा गया है, के आलोक में पटना नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न मानवबल (चालक/मजदूर-सफाई कार्य) का पारिश्रमिक वृद्धि के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-

क्र0	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.04.2025 से लागू मजदूरी की दरें
1	अकुशल	424.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	440.00 प्रतिदिन
3	कुशल	536.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	654.00 प्रतिदिन

वर्धित दर से राशि कर्मचारियों के बैंक खाते एजेंसी द्वारा भुगतान किया जा रहा है इस आशय का प्रतिवेदन निगम कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरे वार्ड में कुछ कचरा संग्रहण केन्द्र पर कचरा पड़े हुए है। इसके हटाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को कई बार बोल चुकी हूँ। लेकिन अब तक नहीं हटा है।

नगर आयुक्त :- कार्यपालक पदाधिकारी नूतन राजधानी अंचल माननीय सदस्य के साथ स्थल की जाँच कर कचरा हटाने की कार्रवाई करें।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कंकड़बाग अंचल में तालाब निर्माण का योजना है। जो अभी तक लंबित है।



श्रीमती श्वेता राय  
महापौर  
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- पटना सिटी स्थित बंगाली कॉलनी में पुराना नाला है जो ध्वस्त हो गया है, वहाँ नया नाला बनाने का प्रस्ताव भेजा हूँ लेकिन उसका संलेख नहीं आया है।

नगर सचिव :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि निगम में कार्यरत कर्मचारी के बच्चे जो JEE/NEET या फिर Competitive Exams की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उड़ान योजना के माध्यम से उच्चतर शिक्षा एवं नौकरी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाना है। इस आशय का संलेख अगली बैठक में रखा जाएगा।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगम कर्मियों के बच्चों के हित का प्रस्ताव है, इस आशय का संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

श्रीमती अनीता देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगम कर्मियों के बच्चों के हित का प्रस्ताव है, इस आशय का संलेख अगली बैठक में रखा जाय।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-27.02.2026 को आहूत सशक्त स्थायी समिति 20वीं साधारण बैठक में रामाचक बैरिया स्थित Bio-Mining/Bio-Remediation of Legacy Waste and reclamation of Land योजना के तहत कार्यों में प्रगति एवं गुणवत्ता के जाँच हेतु कमिटी गठित करने का निर्णय लिया गया था। गठित कमिटी द्वारा स्थल जाँचोपरान्त प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। कमिटी की अनुशंसा है कि पुराने कार्यरत एजेंसी Nacof एवं Patheya का कार्य संतोषजनक है। मेरा सुझाव है कि पुराने एजेंसी के बकाया राशि का भुगतान किया जाय एवं पुराने एजेंसी से ही भविष्य में कार्य लेना बेहतर होगा, जिससे कार्य में तेजी आएगी।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के पत्रांक- D.O.No-2/1-2023/SBM-iii दिनांक-10.12.2025 द्वारा नगर निगम को निदेशित किया गया है कि रामाचक बैरिया स्थित डम्पिंग यार्ड पर जो कचरा जमा है, उसे अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण रूप से निस्तारित करना है।

साथ ही माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूँ कि रामाचक बैरिया डम्पिंग यार्ड में कचरा निस्तारण के लिए निविदा संख्या-17/CME/PMC/2021 में 03 एजेंसियों NACOF, PATHYA, C.D. TRASPORT द्वारा भाग लिया गया। रामाचक बैरिया में NACOF द्वारा आवंटित कार्य को लगभग पूर्ण कर दिया गया है। PATHYA एवं C.D. TRASPORT को कार्य करने



*(Handwritten signature)*  
महापौर  
पटना नगर निगम

के लिए नोटिस निर्गत किया गया है। इन एजेंसी पर कार्य में विलम्ब होने के कारण Penalty Clause एवं liquidated damages invoke किया जा सकता है। इसी निविदा निष्पादन के क्रम में अभी भी 3 लाख घन मीटर कचरा निस्तारण हेतु बचा हुआ है। जिसके निस्तारण हेतु निर्णय लेना अपेक्षित है।

विदित हो कि फरवरी 2025 में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा रामाचक बैरिया में जमा Legacy Waste का ड्रोन सर्वे द्वारा आकलन किया गया। जिसमें कुल 13.38 लाख घन मीटर Legacy Waste पाया गया। इसके निस्तारण हेतु निगम द्वारा NIT-15/CME/PMC/2023 के द्वारा निविदा आमंत्रित किया गया। निविदा में तीन एजेंसी यथा-ECOSTAN, PATHYA, AUYSHI-HYGIENE द्वारा भाग लिया गया है, जिसमें ECOSTAN द्वारा न्यूनतम दर अंकित किया गया है। जिसके एवज में इन्हें निविदा के शर्तों के अनुरूप 60 प्रतिशत(8.37 लाख घन मीटर) कार्य आवंटित किया गया। निविदा के शर्तों में यह भी अंकित है कि 40 प्रतिशत(5.01 लाख घन मीटर) कार्य L-2 एवं L-3 वाले एजेंसी को कार्य दिया जा सकता है। इन एजेंसी पर भी कार्य में विलम्ब होने के कारण Penalty Clause एवं liquidated damages invoke किया जा सकता है। इस संबंध में निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

अपर नगर आयुक्त(सफाई) :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण 2026-27 को ध्यान में रखते हुए Waste Processing Plants का मूल्यांकन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस कारण प्लांट का संचालन नियमित एवं प्रभावी ढंग से किया जाय ताकि रैंकिंग में सुधार का लाभ मिल सके।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा सुझाव है कि पुराने एजेंसी के कार्य की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रख कर उनसे अतिरिक्त कार्य लिया जाय। कार्यरत एजेंसी द्वारा पुराने निर्धारित दर पर ही कार्य किया जाएगा। जो कि निगमहित में होगा एवं जिससे वह कार्य को तेजी और निर्धारित समय सीमा के अन्दर डम्पिंग यार्ड से कचरा को पूरी तरह हटा सकेंगे। साथ ही उनके पुराने बकाये राशि से कार्य में हुई देरी के एवज में परिसमाप्त क्षतिपूर्ति (liquidated damages) अधिरोपित कर भुगतान की भी कार्रवाई की जाय।



*(Handwritten Signature)*  
 महापौर  
 पटना नगर निगम

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा सुझाव है कि पूर्व निविदा के अनुसार 3 लाख घन मीटर कचरे अभी भी बचे हुए हैं, उसका भी निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जो एजेंसी कार्य कर रहे हैं। उनका भुगतान होना चाहिए। साथ ही जो पूर्व में कार्य कर चुके हैं। उसे भी भुगतान किया जाय ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। इस प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रस्ताव संख्या-587 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रामाचक बैरिया में कार्यरत एजेंसी के कार्य की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रख कर उनसे अतिरिक्त कार्य लिया जाय। निविदा संख्या-17/CME/PMC/2021 द्वारा चयनित एजेंसी NACOF एवं PATHYA द्वारा किये गये कार्य के अनुरूप उनका लंबित भुगतान किया जाना है, किन्तु कार्य की पूर्णता में देरी के लिए अनुबंध के शर्तों के अनुसार परिसमाप्त क्षतिपूर्ति (liquidated damages) अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है। निविदा संख्या-17/CME/PMC/2021 में बचे हुए 3 लाख घन मीटर कचरे का निस्तारण पुराने कार्यरत एजेंसी, जो कार्य करने को इच्छुक है, उन्हें दिया जा सकता है। NIT- 15/CME/PMC/2023 द्वारा चयनित एजेंसी ECOSTAN को भी किये गये कार्य के अनुरूप भुगतान किया जाएगा। साथ ही, ECOSTAN एजेंसी पर भी कार्य में विलम्ब होने के कारण Penalty Clause एवं liquidated damages invoke किया जाए, तथा शेष बचे 40 प्रतिशत (5.01 लाख घन मीटर) कचरा निस्तारण हेतु PATHYA एजेंसी को पुराने दर पर कार्य आवंटन हेतु स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की जाती है।

श्री कुमार संजीत :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-27.02.2026 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 20वीं साधारण बैठक में मद संख्या-04, प्रस्ताव संख्या-513 के योजना शाखा द्वारा उपस्थापित कार्तिक छठ 2025 के क्रमांक 194 में योजना शाखा द्वारा प्राक्कलित राशि में 14,10,000/- (चौदह लाख दस हजार)रु० के स्थान पर 1,41,000/- (एक लाख इक्तालीस हजार)रु० अंकित हो गया था। जो गलत है, इसमें संशोधन करते हुए 14,10,000/- /-(चौदह लाख दस हजार)रु० अंकित कर आदेश निर्गत करने की कार्रवाई की जाय।



*(Handwritten signature)*  
महापौर  
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, भूलवश गलत राशि अंकित हो गया है। संशोधन के साथ इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-588 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-27.02.2026 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 20वीं साधारण बैठक में मद संख्या-04, प्रस्ताव संख्या-513 में उपस्थापित कार्तिक छठ 2025 के क्रमांक 194 में योजना शाखा द्वारा प्राक्कलित राशि में 1,41,000/- (एक लाख इक्तालीस हजार)रु० हो गया था, जिसे संशोधन कर 14,10,000/- (चौदह लाख दस हजार)रु० को संशोधित आदेश निर्गत करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-



Sr. No	Division	Work Name	Estimate Amount In Number
194	Patliputra	Additional estimate for extra lighting arrangement & development of pathway near on the occasion of kartik chhath Puja at collectorate ghat during 2025	14,10,000.00 (Fourteen Lakh Ten Thousand Rupees Only)

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दिनांक-27.02.2026 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 20वीं साधारण बैठक के मद संख्या-07 के क्रमांक 10, 11, 12, 13 एवं 14, प्रस्ताव संख्या-515 में वर्ष 2025 के स्थान पर वर्ष 2024 अंकित हो गया है, जिसे संशोधित किया जाय। निम्नवत् है :-

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
1.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत पटना कॉलेज के मैदान पर छठ पर्व 2022 एवं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अस्थायी पार्किंग स्थल का निर्माण।	6,14,400.00 (Six Lakh fourteen thousand and four hundred rupees only)
2.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2023 के अवसर पर काली घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग विछाने का कार्य	6,28,000.00 (Six Lakh twenty eighty and thousand rupees only)
3.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2023 के अवसर पर कदम घाट एवं पटना कॉलेज घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग विछाने का कार्य	4,05,900.00 (Four Lakh Five thousand and Nine hundred rupees only)
4.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2024 के अवसर पर मिश्री घाट से	20,27,400.00 (Twenty Lakh Twenty

निर्वाह

महापौर  
पटना नगर निगम

	पथरी घाट तक पाथ-वे के दीवार एवं पाया का पेंटिंग कार्य	seven thousand and four hundred rupees only)
5.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2024 के अवसर पर विभिन्न घाटों पर क्षतिग्रस्त ग्रेनाइट, कोटा स्टोन एवं टाइल्स का मरम्मत कार्य।	9,94,800.00 (Nine Lakh Ninty four thousand and Eight hundred rupees only)
6.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2024 के अवसर पर मिश्री घाट से पथरी घाट तक पाथ-वे के लोहे के रेलिंग का पेंटिंग कार्य।	9,26,100.00 (Nine Lakh Twenty Six thousand and One hundred rupees only)
7.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2024 के अवसर पर विभिन्न घाटों के पहुँच पथ का मरम्मत कार्य।	17,75,600.00 (Seventeen Lakh seventy five thousand and six hundred rupees only)
8.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2024 के अवसर पर काली घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग बिछाने का कार्य	14,89,700.00 (Fourteen Lakh eighty nine thousand and seven hundred rupees only)
9.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2024 के अवसर पर कदम घाट एवं पटना लॉ कॉलेज घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग बिछाने का कार्य	7,83,200.00 (Seven Lakh eighty three thousand and two hundred rupees only)
10.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर वंशी घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग बिछाने का कार्य	9,29,600.00 (Nine Lakh Twenty nine thousand and six hundred rupees only)
11.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर काली घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग बिछाने का कार्य	14,97,900.00 (fourteen Lakh ninty seven thousand and nine hundred rupees only)
12.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर कदम घाट एवं पटना कॉलेज घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग बिछाने का कार्य	9,21,300.00 (Nine Lakh Twenty one thousand and three hundred rupees only)
13.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर पाथ-वे के लोहे के रेलिंग का पेंटिंग कार्य	9,95,200.00 (Nine Lakh ninty five thousand and two hundred rupees only)
14.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर मिश्री घाट, लॉ कॉलेज घाट तक पाथ-वे- के दीवार का पेंटिंग कार्य।	10,77,900.00 (Ten Lakh Seventy seven thousand and nine hundred rupees only)
15.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर लॉ कॉलेज घाट से पथरी घाट तक पाथ-वे- के दीवार का पेंटिंग कार्य।	12,18,000.00 (Twelve Lakh and eighteen thousand rupees only)
16.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर विभिन्न घाटों	14,74,700.00 (Fourteen Lakh seventy



निहा-बाइर  
बहापीर  
पटना नगर निगम

	के पहुँच पथ का मरम्मत कार्य।	four thousand and seven hundred rupees only)
17.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर काली घाट से गुलबी घाट तक पाथ-वे पर अतिरिक्त लाईट की व्यवस्था का कार्य।	14,03,700.00 (Fourteen Lakh three thousand and seven hundred rupees only)
18.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर अदालत घाट से बंशी घाट तक गंगा नदी के किनारे जंगल सफाई का कार्य।	5,40,000.00 (Five Lakh and forty thousand rupees only)
19.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर भंवर पोखर पार्क का भाड़े पर फूल, डेकोरेटिव लाईट एवं म्यूजिक सिस्टम से सजावट कार्य।	1,92,000.00 (one Lakh and nintytwo thousand rupees only)

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रस्ताव सही है। इसे सुधार कर प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-589 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-27.02.2026 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 20वीं साधारण बैठक में मद संख्या-07, प्रस्ताव संख्या-515 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कार्तिक/चैती छठ महापर्व 2022, 2023, 2024 एवं 2025 के अवसर पर स्थायी/अस्थायी घाटों की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु छुटे हुये योजनाओं की संशोधित घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है



:-

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
1.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत पटना कॉलेज के मैदान पर छठ पर्व 2022 एवं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अस्थायी पार्किंग स्थल का निर्माण।	6,14,400.00 (Six Lakh fourteen thousand and four hundred rupees only)
2.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2023 के अवसर पर काली घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग विछाने का कार्य	6,28,000.00 (Six Lakh twenty eighty and thousand rupees only)
3.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2023 के अवसर पर कदम घाट एवं पटना कॉलेज घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग विछाने का कार्य	4,05,900.00 (Four Lakh Five thousand and Nine hundred rupees only)
4.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2024 के अवसर पर मिश्री घाट से पथरी घाट तक पाथ-वे के दीवार एवं पाया का पेंटिंग कार्य	20,27,400.00 (Twenty Lakh Twenty seven

महापौर  
पटना नगर निगम

		thousand and four hundred rupees only)
5.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2024 के अवसर पर विभिन्न घाटों पर क्षतिग्रस्त ग्रेनाईट, कोटा स्टोन एवं टाईल्स का मरम्मति कार्य।	9,94,800.00 (Nine Lakh Ninty four thousand and Eight hundred rupees only)
6.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2024 के अवसर पर मिश्री घाट से पथरी घाट तक पाथ-वे के लोहे के रेलिंग का पेंटिंग कार्य।	9,26,100.00 (Nine Lakh Twenty Six thousand and One hundred rupees only)
7.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2024 के अवसर पर विभिन्न घाटों के पहुँच पथ का मरम्मति कार्य।	17,75,600.00 (Seventeen Lakh seventy five thousand and six hundred rupees only)
8.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2024 के अवसर पर काली घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग बिछाने का कार्य	14,89,700.00 (Fourteen Lakh eighty nine thousand and seven hundred rupees only)
9.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2024 के अवसर पर कदम घाट एवं पटना लॉ कॉलेज घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग बिछाने का कार्य	7,83,200.00 (Seven Lakh eighty three thousand and two hundred rupees only)
10.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर वंशी घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग बिछाने का कार्य	9,29,600.00 (Nine Lakh Twenty nine thousand and six hundred rupees only)
11.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर काली घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग बिछाने का कार्य	14,97,900.00 (fourteen Lakh ninty seven thousand and nine hundred rupees only)
12.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर कदम घाट एवं पटना कॉलेज घाट पर अतिरिक्त बालू भराई एवं सैंड बैग बिछाने का कार्य	9,21,300.00 (Nine Lakh Twenty one thousand and three hundred rupees only)
13.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर पाथ-वे के लोहे के रेलिंग का पेंटिंग कार्य	9,95,200.00 (Nine Lakh ninty five thousand and two hundred rupees only)
14.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर मिश्री घाट, लॉ कॉलेज घाट तक पाथ-वे- के दीवार का पेंटिंग कार्य।	10,77,900.00 (Ten Lakh Seventy seven thousand and nine hundred rupees only)
15.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर लॉ कॉलेज घाट से पथरी घाट तक पाथ-वे- के दीवार का पेंटिंग कार्य।	12,18,000.00 (Twelve Lakh and eighteen thousand rupees only)
16.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर विभिन्न	14,74,700.00 (Fourteen Lakh seventy



महापौर  
पटना नगर निगम

	घाटों के पहुँच पथ का मरम्मत कार्य।	four thousand and seven hundred rupees only)
17.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर काली घाट से गुलबी घाट तक पाथ-वे- पर अतिरिक्त लाईट की व्यवस्था का कार्य।	14,03,700.00 (Fourteen Lakh three thousand and seven hundred rupees only)
18.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर अदालत घाट से बंशी घाट तक गंगा नदी के किनारे जंगल सफाई का कार्य।	5,40,000.00 (Five Lakh and forty thousand rupees only)
19.	बाँकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत छठ पर्व 2025 के अवसर पर भंवर पोखर पार्क का भाड़े पर फूल, डेकोरेटिव लाईट एवं म्यूजिक सिस्टम से सजावट कार्य।	1,92,000.00 (one Lakh and nintytwo thousand rupees only)

अध्यक्ष :- बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए समाप्ति की घोषणा की जाती है।

सीता साहू  
20/11/25

(सीता साहू) महापौर

अध्यक्ष पटना नगर निगम

पटना नगर निगम, पटना।

प्रतिलिपि :- माननीया महापौर/ माननीय उप-महापौर/ माननीय सदस्य, सशक्त स्थायी समिति/ नगर आयुक्त/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



नगर सचिव  
20/11/25  
पटना नगर निगम, पटना।  
नगर सचिव  
पटना नगर निगम